FORM–D

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश कबीरधाम (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी–गितेश कुमार कौशिक)

निर्णय दिनांक 14.08.2026

सत्र प्रकरण क्रमांक–42/2023

सी.एन.आर. नं.–CGKW010008032023

थाना–रेंगाखार

अपराध क्रमांक –11/2023

संस्थित दिनांक–01.08.2023

शिकायतकर्ता	शासन की ओर से (प्रार्थी घूपलाल मरकाम)
राज्य की ओर से	श्री संतोष देवांगन अतिरिक्त लोक अभियोजक
अभियुक्त	सरजू उर्फ संजू मरकाम पिता बलदेव मरकाम, उम्र 33 वर्ष, साकिन ग्राम छपला, थाना बिरसा, जिला–बालाघाट (म०प्र०)
अभियुक्त की ओर से	श्री देवचंद राय, लीगल एड डिफेंस काउंसिल।

FORM–E

घटना दिनांक	03.04.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	03.04.2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	03.07.2023
आरोप विरचित करने का दिनांक	11.10.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	17.11.2023
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	12.08.2026
निर्णय की तिथि	14.08.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	14.08.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर छोडने की तारीख	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	दी गई सजा	भा.ना.सु.सं. की धारा 468 के प्रयोजन से विचारण के दौरान भुगती गयी निरोध की अवधि
01	सरजू उर्फ संजू मरकाम	05.04.23	–	धारा 302(दो बार), 307(पांच बार), 436 भा०द०सं० एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 03 एवं 05	दोषसिद्धि	निर्णय की कंडिका 85 एवं 86 के अनुसार	दिनांक 05.04.2023 से आज दिनांक 14.08.2026

Index

क्रमांक	विवरण	पेज नंबर
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	4–5
4	स्वीकृत तथ्य	–
5	अभियोजन कहानी	5–9
6	अभियुक्त की प्रतिरक्षा	9
7	अवधारणीय प्रश्न	26–28
8	कारण और निष्कर्ष	28–75
9	सजा	77–78
10	सजा में मुजरा की गई अवधि	79
11	सम्पत्ति का व्ययन	79
12	मुआवजा/प्रतिकर	80
13	धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र	82
14	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास या अर्थदण्ड)	78
15	निर्णय की प्रतिलिपि	80–81

–// निर्णय //–

(आज दिनांक 14.08.2026 को घोषित)

1. अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम के विरुद्ध **भारतीय दण्ड संहिता, की धारा–302 (दो बार), 307 (पांच बार), 436 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 03 एवं 05** के तहत् दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.04.2023 को सुबह 9:00 बजे स्थान मेहर मरावी के घर ग्राम चमारी, थाना–रेंगाखार, जिला–कबीरधाम (छ०ग०) में हेमेन्द्र एवं राजकुमार की मृत्यु कारित करने के आशय से होमथियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर शादी में उपहार देकर ब्लास्ट कर हेमेन्द्र एवं राजकुमार की हत्या कर मृत्यु कारित किया एवं आहत सौरभ, सूरज, शिव, दीपक एवं शेरसिंह को प्राणघातक चोट साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थिति में कारित किया कि, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता तथा मेहर मरावी का घर नष्ट करने के आशय से हेमेन्द्र का कमरा व बगल कमरा का खपरैल, मलमा, दीवाल, कमरे में रखे टी०वी०, कूलर, आलमारी, पेटी, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, पलंग, गद्दा आदि उपहार सामग्री नष्ट कर रिष्टी कारित किया और विधि विरुद्धतः और विद्वेषित विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार विस्फोट कारित कर मानव जीवन और सम्पत्ति की गंभीर क्षति कारित किया तथा विस्फोट कारित करने हेतु विस्फोटक

पदार्थ बारुद, अमोनियम नाईट्रेट एवं पेट्रोल मिलाकर अवैध रुप से विस्फोटक पदार्थ बनाया और जान–बूझकर विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिये अपने कब्जे में रखा ।

2. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में यह है कि सूचनाकर्ता/प्रार्थी घूपलाल मरकाम (आ०सा० 01) ग्राम चमारी में अपने बेटी–दमाद मेहर सिंह मेरावी के घर में रहता है, घर में उसका दमाद मेहर सिंह मेरावी, लड़की मैनकुंवर, बेटी नाती राजेन्द्र व उसकी पत्नी सरिता, राजकुमार व उसकी पत्नी हेमकुंवर व उसके बच्चे सौरभ, मिनाक्षी, ज्ञानेन्द्र, कुलदीप तथा छोटे नाती हेमेन्द्र रहते हैं । दिनांक 31.03.2023 को उसके छोटे नाती हेमेन्द्र मेरावी की शादी ग्राम अंजना के ललिता धुर्वे से हुआ, जिसका धरमटीका दिनांक 01.04.2023 को उनके घर चमारी में था। शादी के बाद लड़की ललिता धुर्वे सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार मायके गई, साथ ही शादी में आये मेहमान, रिश्तेदार अपने–अपने घर चले गये, जिसमें से राजकुमार का साला शेर सिंह, सूरज मेरावी, शिवकुमार मेरावी, दीपक धुर्वे रुके थे। शादी कार्यक्रम समापन के बाद दिनांक 03.04.2023 को सुबह 9:00 बजे वह घर के परछी में बैठकर देख रहा था कि हेमेन्द्र मेरावी परिवार के अन्य सदस्यों व मेहमानों के साथ शादी में मिलने सामान सोनी कम्पनी का होम थियेटर व उपहार को घर के एक कमरे में जमा रहे थे एवं सोनी कंपनी का होम थियेटर को चालू करने के लिये जैसे ही बिजली के स्वीच में लगाये, वैसे ही काफी जोरदार धमाका व विस्फोट हुआ । प्रार्थी

उस धमाका व धुंआ से जमीन में गिर गया, जब होश आया तब देखा, जिस कमरा में सामान जमा रहे थे, उस कमरा व उसके बगल के कमरे का छत व दीवाल, मलमा, काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, उस धमाके से उसका छोटा नाती हेमेन्द्र मेरावी के सिर, बदन, दोनों हाथ पैर में काफी गहरा चोंटे आयी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका नाती राजेन्द्र, राजकुमार, राजकुमार का लड़का सौरभ, सूरज, शिव, दीपक, शेर सिंह को भी काफी चोंटे आयी, जिन्हें ईलाज के लिये एम्बुलेंस से शासकीय अस्पताल रेंगाखार भेजे हैं ।

3. अभियोजन का मामला आगे इस प्रकार है कि इसी बीच शेर सिंह खुसरों ने बताया कि उपहार में मिले आलमारी एवं अन्य सामान को जमा रहे थे, सोनी कम्पनी का होम थियेटर को बिजली कनेक्शन कर जैसे ही बिजली बटन को चालू किये तो सोनी कम्पनी का होम थियेटर के साथ लोहे का आलमारी में काफी जोरदार धमाका व विस्फोट हुआ, जिसके ब्लास्ट होने से आलमारी का टुकड़ा, घर का मलमा आदि क्षतिग्रस्त होने से उन सभी को चोंटे आयी है और इस धमाका से कमरा में रखे अन्य बर्तन सामान आदि भी क्षतिग्रस्त हो गया है । कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोनी कंपनी का होम थियेटर व आलमारी में कोई प्राणघातक विस्फोटक पदार्थ को उन लोगों की हत्या करने की नियत से उपहार में दिया, जिसके ब्लास्ट होने से उसके नाती हेमेन्द्र मेरावी की मौके पर मृत्यु हो गई तथा अन्य सभी को प्राणघातक चोंटे

आयी है । प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना रेंगाखार में मर्ग क्रमांक 0/2023 प्रदर्श पी–01 देहाती नालसी दर्ज किया गया और अपराध क्रमांक 11/2023, अंतर्गत धारा 302, 307 भारतीय दण्ड संहिता एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 03 एवं 05 के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–53 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहतगण को शासकीय रेंगाखार से जिला अस्पताल कवर्धा रेफर किया गया, जहां ईलाज के दौरान राजकुमार की मृत्यु हो गई । प्रकरण के विवेचना के दौरान मृतक हेमेन्द्र एवं राजकुमार के शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव परीक्षण कराया गया, आहतगण शिव, सूरज, दीपक, शेरसिंह एवं सौरभ का चिकित्सीय मुलाहिजा कराया गया ।

4. अभियोजन का मामला यह भी है कि प्रकरण में विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–02 तैयार किया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये, घटनास्थल से खून आलूदा एवं सादी मिट्टी, बारुद युक्त मिट्टी, वायर, इलेक्ट्रानिक मेटल सामग्री, आलमारी का टुकड़ा, होमथियेटर का काटुर्न बॉक्स, विवो कंपनी को मोबाईल फोन, शर्ट, कमरा के म्यार का स्वॉब, मृतक हेमेन्द्र एवं राजकुमार का बिसरा, चोट लगे स्थान का स्वॉब, चमड़ी, ब्लड, शरीर में घूसे प्लास्टिक के टुकड़े, पहने कपड़े, नमक के घोल, शादी कार्ड, दोनों पक्ष के उपहार सामग्री लिया कापी व रजिस्टर, लावा कंपनी का मोबाई फोन, अमर रांहगडाले से

होमथियेटर बिक्री कार्बन रसीद बुक, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन, फोन–पे का मिनी स्टेटमेंट जप्ती किया गया । प्रकरण में विवेचना के दौरान अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम को अभिरक्षा में लेकर उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–09 दर्ज किया गया, अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अभियुक्त की निशानदेही में 05–06 ग्राम बारुद, सुतली बम का रस्सी, स्क्रूड्राईवर, होमथियेटर खरीदी बिल, घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक एम०पी० 50/एम०एम०–9752, सरजू मरकाम के संबंध में माहवारी रजिस्टर जप्त किया गया । अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–68 के अनुसार गिरफ्तारी किया गया । प्रकरण में मृतक हेमेन्द्र के कमरा व बगल कमरा का खपरैल, मलमा, दीवाल, कमरे में रखे टी०वी०, कूलर, आलमारी, पेटी, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, पलंग, गद्दा, उपहार सामग्री आदि पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 436 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् अपराध जोड़ी गई । अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम द्वारा ललिता धुर्वे से प्रेम–संबंध होने संबंधी बात हेमेन्द्र मेरावी से फोन से करने पर हेमेन्द्र मेरावी से वाद–विवाद होने कारण सरजू मरकाम द्वारा हेमेन्द्र मेरावी एवं उसके परिजन की हत्या करने की नियत से होम थियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर हेमेन्द्र के शादी के उपहार में देकर विस्फोट कर घटना कारित करना पाये जाने पर प्रकरण में अन्वेषण उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला–

कबीरधाम (छ०ग०) के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो उर्पापण पश्चात् सत्र न्यायाधीश कबीरधाम के माध्यम से इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ ।

5. अभियुक्त के विरुद्ध **भारतीय दण्ड संहिता, की धारा–302 (दो बार), 307 (पांच बार), 436 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 03 एवं 05** के तहत आरोप निर्मित किये जाने पर अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण चाहा तथा धारा–413 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन में अपने आप को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है । बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

6. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों की सूची:–

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	विवरण
अ०सा० 01	घूपलाल मरकाम	प्रार्थी, मृतकगण के नाना, देहाती नालसी, नजरी नक्शा, पटवारी नक्शा, शव पंचनामा के साक्षी एवं पुलिस कथन
अ०सा० 02	नूतन धुर्वे	पटवारी, पटवारी नक्शा तैयार किया ।
अ०सा० 03	ललिता धुर्व	मृतक हेमेन्द्र की पत्नी, घटना गवाह एवं पुलिस कथन
अ०सा० 04	अमर लाल राहंगडाले	इलेक्ट्रानिक दुकान के मालिक, होम थियेटर का बिल दिया एवं उसके जप्ती के साक्षी, पुलिस कथन
अ०सा० 05	नारायण मेरावी	मृतकगण/आहतगण के रिश्तेदार, मृतक हेमेन्द्र के

		मोबाईल की जप्ती एवं पुलिस कथन
अ०सा० 06	देवेन्द्र कुमार	मेमोरेण्डम कथन एवं मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त से जप्ती पत्रक के साक्षी एवं पुलिस कथन
अ०सा० 07	मेवालाल	मृतकगण के गांव के निवासी, नजरी नक्शा, शव पंचनामा, मेमोरेण्डम कथन एवं जप्ती पत्रक के साक्षी, पुलिस कथन
अ०सा० 08	सुरेश कुमार चक्रवर्ती	अभियुक्त द्वारा होम थियेटर पैक करने वाले दुकान के मालिक, पुलिस कथन
अ०सा० 09	प्रवीण पटले	अभियुक्त जिस दुकान में काम करता था, उक्त दुकान का हाजिरी रजिस्टर की जप्ती पत्रक
अ०सा० 10	राजेन्द्र मेरावी	घटना गवाह, पुलिस कथन
अ०सा० 11	तोरण कुमार यादव	जेल पहरी, अभियुक्त के पहचान कार्यवाही के साक्षी
अ०सा० 12	खेल सिंह धुर्वे	मृतकगण/आहतगण के रिश्तेदार, गवाह, पुलिस कथन
अ०सा० 13	मेहर सिंह मेरावी	मृतकगण के पिता, घटना के गवाह एवं पुलिस कथन
अ०सा० 14	मैनकुंवर मेरावी	मृतकगण की मां, घटना के गवाह एवं पुलिस कथन
अ०सा० 15	बलराम मरकाम	होम थियेटर खरीदने वाले दुकान का सी०सी०टी०वी० फुटेज का सी०डी० एवं धारा 65 बी का प्रमाण पत्र दिया
अ०सा० 16	शिवकुमार	आहत, घटना गवाह एवं पुलिस कथन
अ०सा० 17	शेर सिंह कुशरे	आहत, घटना गवाह एवं पुलिस कथन
अ०सा० 18	दीपक धुर्वे	आहत, घटना गवाह एवं पुलिस कथन
अ०सा० 19	सूरज मेरावी	आहत, घटना गवाह एवं पुलिस कथन

अ०सा० 20	डॉ० दिनेश कुमार	मेडिकल ऑफिसर, मृतक राजकुमार का शव परीक्षण रिपोर्ट दिया।
अ०सा० 21	यशवंत धुर्वे	अभियुक्त के गांव का निवासी, गवाह एवं पुलिस कथन
अ०सा० 22	उपेन्द्र किण्डो	डिप्टी कलेक्टर, अभियुक्त के पहचान कार्यवाही किया एवं शिनाख्तगी मेमो थाना प्रभारी को प्रेषित किया।
अ०सा० 23	सुरेश धुर्वे	एस०डी०ओ० BSNL दुर्ग, मोबाईल नंबर 7647994069 से 7024750238, 702475023 एवं 7587708382 का कॉल डिटेल, धारा 65 बी का प्रमाण पत्र एवं प्रतिवेदन दिया।
अ०सा० 24	डॉ० के०आर० रात्रे	मेडिकल ऑफिसर, आहतगण शिवकुमार, शेर सिंह, राजकुमार, सौरभ, दीपक, सूरज मेरावी का मुलाहिजा कर मुलाहिजा रिपोर्ट दिया एवं जप्तशुदा सामग्री का क्वेरी कर रिपोर्ट दिया।
अ०सा० 25	राधेश्याम नेताम	आरक्षक, मृतक राजकुमार के जप्तशुदा बिसरा एवं कॉटन स्वाब, मृतक के शरीर में घुसे प्लास्टिक के टुकड़े, मृतक का ब्लड नमूना, खून लगा टी-शर्ट, पैंट, नमक के घोल के जप्ती पत्रक के साक्षी।
अ०सा० 26	संजय धुर्वे	आरक्षक, मृतक हेमेन्द्र के जप्तशुदा बिसरा एवं कॉटन स्वाब, चोट लगे स्थान की चमड़ी, मृतक के शरीर में घुसा प्लास्टिक के टुकड़े, मृतक का ब्लड नमूना, मृतक के पैंट, अंडरवियर, रुमाल एवं नमूना घोल के जप्ती पत्रक के साक्षी।

अ०सा० 27	डॉ० सुशीला किण्डो	मेडिकल ऑफिसर, मृतक हेमेन्द्र का शव परीक्षण कर रिपोर्ट दिया,
अ०सा० 28	सुमन कौशिक	ठेकेदार, बालाजी इंटरप्रायजेज का मालिक, पुलिस कथन
अ०सा० 29	चंद्रकांत तिवारी	सहायक उपनिरीक्षक, कॉल डिटल, सी०ए०एफ० का धारा 65 बी प्रमाण करने हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय को आवेदन प्रेषित किया एवं प्रमाण पत्र प्रेषित किया ।
अ०सा० 30	आशीष सिंह	सहायक उपनिरीक्षक, शव पंचनामा तैयार किया, मृतकगण के शव परीक्षण कराने हेतु जिला अस्पताल कवर्धा को आवेदन पत्र प्रेषित किया एवं मृतकगण के बिसरा को जप्त किया ।
अ०सा० 31	दुर्गेश रावटे	निरीक्षक, विवेचना ।

7. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित कराया गया है–

प्रदर्श क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**प्रदर्श दिनांक**	**किसके द्वारा प्रमाणित/ अनुप्रमाणित**
प्रदर्श पी 01	देहाती नालसी	02.12.2023	अ०सा० 01
प्रदर्श पी 02	नजरी नक्शा	02.12.2023	अ०सा० 01
प्रदर्श पी 03	पटवारी द्वारा तैयार नक्शा	02.12.2023	अ०सा० 01

प्रदर्श पी 04	शव पंचनामा हेतु गवाहों का प्रेषित नोटिस	02.12.2023	अ०सा० 01
प्रदर्श पी 05	नक्शा पंचायतनामा	02.12.2023	अ०सा० 01
प्रदर्श पी 06	अमर इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल एवं फर्नीचर से होम थियेटर खरीदने का रसीद	29.01.2024	अ०सा० 04
प्रदर्श पी 07	अमर इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल एवं फर्नीचर से होम थियेटर खरीदने का रसीद, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति, फोन–पे के माध्यम पेमेंट किये गये स्टेटमेंट की प्रति का जप्ती पत्रक	29.01.2024	अ०सा० 04
प्रदर्श पी 08	मोबाईल की जप्ती एवं एक नीला लाल पट्टी वाला फूल शर्ट, कमरा के ऊपर लकड़ी के म्यार से लिया गया कॉटन स्वाब	09.04.2024	अ०सा० 05
प्रदर्श पी 09	अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन	09.04.2024	अ०सा० 06
प्रदर्श पी 10	बारुद, रस्सी, होमथियेटर का रसीद बुक, मोटर सायकल की जप्ती पत्रक	09.04.2024	अ०सा० 06
प्रदर्श पी 11	खून आलूदा एवं सादी मिट्टी, बारुद की गंध आ रही मिट्टी, बिजली तार, इलेक्ट्रानिक मेटल प्लास्टिक के डिब्बा में रखा हुआ, आलमारी का टुकड़ा, होम थियेटर के कार्टून बॉक्स की जप्ती पत्रक	29.04.2024	अ०सा० 07

प्रदर्श पी 12	होम थियेटर को गिफ्ट पैक कराने के विडियो का सी०डी०	29.04.2024	अ०सा० 08
प्रदर्श पी 13	अभियुक्त का नाम लिखा माहवारी रजिस्टर की जप्ती पत्रक	22.06.2024	अ०सा० 09
प्रदर्श पी 14	शिनाख्तगी मेमो	12.07.2024	अ०सा० 11
प्रदर्श पी 15	सी०डी० तैयार करने के संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र	27.02.2025	अ०सा० 15
प्रदर्श पी 16	शिवकुमार को प्रेषित धारा 160 द०प्र०सं० की नोटिस	28.02.2025	अ०सा० 16
प्रदर्श पी 17	शेरसिंह को प्रेषित धारा 160 द०प्र०सं० की नोटिस	28.02.2025	अ०सा० 17
प्रदर्श पी 18	मृतक राजकुमार मेरावी का शव परीक्षण रिपोर्ट	17.04.2025	अ०सा० 20
प्रदर्श पी 19	साक्षी यशवंत धुर्वे को प्रेषित धारा 160 द०प्र०सं० की नोटिस	17.04.2025	अ०सा० 21
प्रदर्श पी 20	थना प्रभारी रेंगाखार द्वारा तहसीलदार कवर्धा को शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु प्रेषित पत्र	07.08.2025	अ०सा० 22
प्रदर्श पी 21	नोडल ऑफिसर BSNL को प्रेषित पत्र	07.08.2025	अ०सा० 23
प्रदर्श पी 22	नोडल ऑफिसर BSNL को प्रेषित पत्र	07.08.2025	अ०सा० 23

प्रदर्श पी 23	मोबाईल नंबर 7647990469 का कॉल डिटेल्स	07.08.2025	अ०सा० 23
प्रदर्श पी 24	धारा 65–बी का प्रमाण पत्र	07.08.2025	अ०सा० 23
प्रदर्श पी 25	पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को प्रेषित प्रतिवेदन	07.08.2025	अ०सा० 23
प्रदर्श पी 26	आहत शिवकुमार का मुलाहिजा रिपोर्ट	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 27	आहत शेरसिंह का मुलाहिजा रिपोर्ट	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 28	आहत/मृतक राजकुमार का मुलाहिजा रिपोर्ट	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 29	आहत सौरभ का मुलाहिजा रिपोर्ट	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 30	आहत दीपक धुर्वे का मुलाहिजा रिपोर्ट	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 31	आहत सूरज मेरावी का मुलाहिजा रिपोर्ट	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 32	आहत शिवकुमार के चोट की प्रकृति एवं प्रकार का खुलासा करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेंगाखार को प्रेषित पत्र	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 33	आहत शेरसिंह कुशरे के चोट की प्रकृति एवं प्रकार का खुलासा करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेंगाखार को प्रेषित पत्र	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 34	आहत/मृतक राजकुमार के चोट की प्रकृति एवं प्रकार का खुलासा करने हेतु प्राथमिक	03.09.2025	अ०सा० 24

	स्वास्थ्य केन्द्र रेंगाखार को प्रेषित पत्र		
प्रदर्श पी 35	आहत सौरभ के चोट की प्रकृति एवं प्रकार का खुलासा करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेंगाखार को प्रेषित पत्र	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 36	आहत दीपक के चोट की प्रकृति एवं प्रकार का खुलासा करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेंगाखार को प्रेषित पत्र	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 37	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेंगाखार को जप्तशुदा सामग्री का क्वेरी बाबत् प्रेषित पत्र	03.09.2025	अ०सा० 24
प्रदर्श पी 38	मृतक राजकुमार का लंग्स, हार्ट, नमक घोल, कॉटन रुई से शरीर में चोट आये जगह का खून, मृतक के शरीर में घुसे प्लास्टिक के टुकड़े, ब्लड नमूना, मृतक के सफेद एवं काले रंग का खून लगा टी–शर्ट, ब्राऊन कलर का खून लगा पेंट एवं प्लास्टिक के डिब्बे में नमक के घोल का जप्ती पत्रक	04.09.2025	अ०सा० 25
प्रदर्श पी 39	मृतक हेमेन्द्र का लंग्स, हार्ट, नमक घोल, कॉटन रुई से शरीर में चोट आये जगह का खून, चोट लगे स्थान की चमड़ी, मृतक के शरीर में घुसे प्लास्टिक के टुकड़े, ब्लड नमूना, मृतक के ब्राऊन कलर का	04.09.2025	अ०सा० 26

	अंडरवियर, सफेद रंग का रुमाल एवं नमूना घोल का जप्ती पत्रक		
प्रदर्श पी 40	मृतक हमेन्द्र मेरावी का शव परीक्षण प्रतिवेदन	04.09.2025	अ०सा० 27
प्रदर्श पी 41	कॉल डिटेल, सी०ए०एफ० का धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत् प्रेषित पत्र की पावती	25.10.2025	अ०सा० 29
प्रदर्श पी 42	मोबाईल नंबर 9630702680, 8959514919 एवं 7024750238 का सी०डी०आर० एवं सी०ए०एफ० की हार्ड कॉपी	25.10.2025	अ०सा० 29
प्रदर्श पी 43	मोबाईल नंबर 9630702680, 8959514919 एवं 7024750238 का सी०ए०एफ०	25.10.2025	अ०सा० 29
प्रदर्श पी 44	मोबाईल नंबर 9630702680, 8959514919 एवं 7024750238 का सी०ए०एफ०	25.10.2025	अ०सा० 29
प्रदर्श पी 45	मोबाईल नंबर 9630702680, 8959514919 एवं 7024750238 का सी०ए०एफ०	25.10.2025	अ०सा० 29
प्रदर्श पी 46	मोबाईल नंबर 9630702680,	25.10.2025	अ०सा० 29

	8959514919 एवं 7024750238 का सी०ए०एफ०		
प्रदर्श पी 47	आहत राजकुमार के ईलाज के दौरान मृत्यु की सूचना	25.10.2025	अ०सा० 29
प्रदर्श पी 48	आहत राजकुमार के ईलाज के दौरान मृत्यु की सूचना	27.11.2025	अ०सा० 30
प्रदर्श पी 49	मृतक राजकुमार के शव पंचनामा हेतु गवाहों को प्रेषित नोटिस	27.11.2025	अ०सा० 30
प्रदर्श पी 50	मृतक राजकुमार मेरावी का नक्शा पंचायतनामा	27.11.2025	अ०सा० 30
प्रदर्श पी 51	मृतक राजकुमार का शव परीक्षण करने हेतु जिला अस्पताल को प्रेषित आवेदन पत्र	27.11.2025	अ०सा० 30
प्रदर्श पी 52	मृतक हेमेन्द्र मेरावी के अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 53	प्रथम सूचना रिपोर्ट	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 54	शादी कार्ड की प्रति	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 55	उपहार में दिये गये सामान को लिखे गये रजिस्टर, शादी कार्ड एवं लावा कंपनी का की–पेड मोबाईल का जप्ती पत्रक	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 56	नुकसानी पंचनामा	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 57	मोबाईल नंबर 8959514919,	09.01.2026	अ०सा० 31

	789815229, 7647994069, 7024750238 एवं 6264792157 का दिनांक 01.03.2023 से 06.04.2023 तक कॉल रिकार्ड, सी०डी०आर०, एस०डी०आर० प्रदान करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित नोटशीट		
प्रदर्श पी 58	मोबाईल नंबर 7647994069 एवं 7024750238 का सी०डी०आर०/एस०डी०आर०/कॉल डिटेल/टॉवर डिटेल लोकेशन प्रदान करने बाबत् पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित नोटशीट	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 59	अमर इलेक्ट्रानिक एंड फर्नीचर दुकान से सोनी कंपनी का बुफर का कार्टून बॉक्स का पहचान पंचनामा	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 60	अमरलाल रहंगडाले को होम थियेटर बेचने एवं भुगतान करने के संबंध में कागजात पेश करने हेतु प्रेषित नोटिस	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 61	अमर इलेक्ट्रानिक–इलेक्ट्रिक का जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन का सत्यापित प्रति	09.01.2026	अ०सा० 31

प्रदर्श पी 62	सरजू मरकाम द्वारा होम थियेटर की खरीदी की राशि को फोन–पे के माध्यम से पेमेंट करने का मिनी स्टेटमेंट की सत्यापित प्रति	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 63	कार्यालय एफ०एस०एल० सीन ऑफ क्राईम यूनिट से घटनास्थल का निरीक्षक रिपोर्ट प्रदान करने बाबत पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 64, 65	कार्यालय एफ०एस०एल० सीन ऑफ क्राईम यूनिट दुर्ग का घटनास्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 66	गोकुल एवं रुकम सिंह को प्रेषित नोटिस	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 67	गवाह देवेन्द्र एवं मेवालाल को प्रेषित नोटिस	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 68	अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 69	अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 70	प्रार्थी घूपलाल मरकाम को प्रेषित नोटिस	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 71	तहसीलदार रेंगाखार को घटनास्थल का पटवारी से नक्शा तैयार कराने बाबत् प्रेषित पत्र	09.01.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 72	शादी में दिये गये उपहार सामग्री को लेख किये गये रजिस्टर	20.02.2026	अ०सा० 31

प्रदर्श पी 73	अभियुक्त के काम करने वाले दुकान का माहवारी रजिस्टर	20.02.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 74	शादी में टीकावन में मिले उपहार सामग्री का लेख किये गये रजिस्टर	20.02.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 75	शादी में टीकावन में मिले उपहार सामग्री का लेख किये गये रजिस्टर का जप्ती पत्रक	20.02.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 76	अमर राहंगडाले के पेश करने पर दुकान का रसीद बुक	20.02.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 77	आहत शिवकुमार, सूरज, शेरसिंह, दीपक एवं सौरभ के ईलाज से संबंधित बेडहेड टिकट प्रदाय करने बाबत् सिविल सर्जन जिला अस्पताल को प्रेषित आवेदन पत्र	20.02.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 78	सिविल सर्जन जिला अस्पताल से आहत सूरज, दीपक, राजकुमार का बेडहेड टिकट\अन्य दस्तावेज एवं एक्स–रे रिपोर्ट प्रदान करने बाबत् प्रेषित आवेदन पत्र	20.02.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 79	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ०बी०आर० अंबेडकर अस्पताल रायपुर को सूरज मेरावी का बेडहेड टिकट प्रदाय करने बाबत् प्रेषित आवेदन पत्र	20.02.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 80	जिला अस्पताल कवर्धा से प्राप्त आहत	20.02.2026	अ०सा० 31

	दीपक, राजकुमार, एवं सूरज का बेडहेड टिकट		
प्रदर्श पी 81	अभियुक्त सरजू मरकाम के खाता का लेन–देन का विवरण प्रदान करने बाबत् भारतीय स्टेट बैंक रेंगाखार को प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 82	अभियुक्त सरजू मरकाम का भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त खाता का विवरण	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 83	फिनो बैंक शाखा बालाघाट को खाता क्रमांक 20003480121 के लेन–देन का विवरण प्रदान करने बाबत् प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 84, 85	फिनो बैंक शाखा बालाघाट से प्रापत विवरण	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 86	सी०डी० चलाने का पंचनामा	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 87	अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम की पहचान कार्यवाही जिला जेल में कराये जाने की अनुमति बाबत् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 88	सहायक पुलिस उपनिरीक्षक नवा रायपुर को घटनास्थल का निरीक्षण एवं घटना में प्रयुक्त विस्फोटक की जांच करने हेतु टीम नियुक्त	20.03.2026	अ०सा० 31

	करने बाबत् प्रेषित आवेदन पत्र		
प्रदर्श पी 89	पुलिस मुख्यालय सिविल लाईन रायपुर से प्राप्त प्रतिवेदन	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 90	पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को विस्फोटक सामग्री की जांच हेतु टीम नियुक्त करने के संबंध में प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 91	मोबाईल नंबर 8959514919, 9630702680 एवं 6264792157 का सी०डी०आर०, एस०डी०आर० एवं कॉल डिटेल एवं टॉवर लोकेशन हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित नोटशीट	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 92	मोबाईल नंबर 8959514919, 9630702680 एवं 6264792157 का सी०डी०आर०,सी०ए०एफ० एवं धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भेजे जाने हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 93	सी०सी०टी०वी० कैमरा के विडियो का सी०डी० तैयार कर प्रदान करने के संबंध में धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31

प्रदर्श पी 94	कार्यालय पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा मोबाईल नंबर 9630702680 एवं 8959514919 की सी०ए०एफ० एवं सी०डी०आर० की प्रमाणित प्रति एवं उक्त दस्तावेज के संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में नोडल ऑफिसर रिलायंस जिओ रायपुर को प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 95	कार्यालय पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा मोबाईल नंबर 7024750238 की सी०ए०एफ० की प्रमाणित पत्र एवं उक्त दस्तावेज के संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में नोडल ऑफिसर BSNL इंदौर (MP) को प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 96	साक्षी सुमन कौशिक को प्रेषित नोटिस	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 97	दीपक का कथन लेखबद्ध करने हेतु अजीत सिंह को प्रेषित नोटिस	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 98	सूरज का कथन लेखबद्ध करने हेतु ज्ञान सिंह को प्रेषित नोटिस	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 99	गवाह जयदेव को प्रेषित नोटिस	20.03.2026	अ०सा० 31

प्रदर्श पी 100	गवाह खेलसिंह को प्रेषित नोटिस	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 101	गवाह नैनसिंह मेरावी को प्रेषित नोटिस	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 102	गवाह सुरेश एवं ताजीराम को प्रेषित नोटिस	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 103	गवाह लक्ष्मीकांत को प्रेषित नोटिस	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 104	पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जप्तशुदा सामग्री का रासायनिक परीक्षण हेतु संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 105	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से प्रदर्श प्राप्ति रसीद	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 106	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 107	मृतक राजकुमार मेरावी के लंग्स, हार्ट का रासायनिक परीक्षण कराने हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 108	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से प्रदर्श प्राप्ति रसीद	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 109	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट	20.03.2026	अ०सा० 31

प्रदर्श पी 110	मृतक हेमेन्द्र मेरावी के लंग्स, लिवर का रासायनिक परीक्षण कराने हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 111	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से प्रदर्श प्राप्ति रसीद	20.03.2026	अ०सा० 31
प्रदर्श पी 112	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट	20.03.2026	अ०सा० 31
आर्टिकल ए–1	अभियुक्त द्वारा होम थियेटर को गिफ्ट पैक कराने का विडियो एवं फोटोग्राफ	20.03.2026	अ०सा० 31

8. अभियोजन की ओर से तर्क श्रवण किया गया है एवं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क का अवलोकन किया गया ।

9. –//<u>विचारणीय बिन्दु</u> //–

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.04.2023 को सुबह 9:00 बजे स्थान मेहर मरावी के घर ग्राम चमारी, थाना–रेंगाखार, जिला–कबीरधाम (छ०ग०) में हेमेन्द्र एवं राजकुमार की मृत्यु कारित करने के आशय से होमथियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर शादी में उपहार देकर ब्लास्ट कर हेमेन्द्र एवं राजकुमार की हत्या कारित किया ?

02. क्या अभियुक्त ने होमथियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर शादी में उपहार देकर सौरभ, सूरज, शिव, दीपक एवं शेरसिंह को प्राणघातक चोट साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थिति में कारित किया कि, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता ?

03. क्या अभियुक्त ने मेहर मरावी का घर नष्ट करने के आशय से होमथियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर शादी में उपहार देकर ब्लास्ट कर हेमेन्द्र का कमरा व बगल कमरा का खपरैल, मलमा, दीवाल, कमरे में रखे टी०वी०, कूलर, आलमारी, पेटी, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, पलंग, गद्दा आदि उपहार सामग्री नष्ट कर रिष्टी कारित?

04. क्या अभियुक्त ने विधि विरुद्धतः और विद्वेषित विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार विस्फोट कारित किया कि मानव जीवन और सम्पत्ति की गंभीर क्षति कारित किया ?

05. क्या अभियुक्त ने विस्फोट कारित करने हेतु विस्फोटक पदार्थ बारुद, अमोनियम नाईट्रेट एवं पेट्रोल मिलाकर अवैध रुप से विस्फोटक

पदार्थ बनाया और जान–बूझकर विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिये अपने कब्जे में रखा ।

–//निष्कर्ष के आधार//–

तथ्यों की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से तथा साक्ष्य का क्रमबंधन बना रहे, इसे दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सभी अवधारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

10. तत्संबंध में अभियोजन साक्षी घूपलाल मरकाम (अ.सा.01), ललिता धुर्वे (अ.सा.–02), नारायण मेरावी (अ.सा.–05), देवेन्द्र कुमार (अ.सा.–06), मेवालाल (अ.सा.–07), राजेन्द्र मेरावी (अ.सा.–10), खेल सिंह धुर्वे (अ.सा.–12), मेहर सिंह मेरावी (अ.सा.–13), मैनकुंवर मेरावी (अ.सा.– 14), शिवकुमार (अ.सा.–16), शेरसिंह खुशरे (अ.सा.–17), दीपक ध्रुर्वे (अ.सा.–18) एवं सूरज मेरावी (अ.सा.–19) के अभिसाक्ष्य के अनुसार हेमेन्द्र एवं राजकुमार की मृत्यु हो गई है। उक्त साक्षियों के उक्तानुसार कथनों का उनके प्रतिपरीक्षण में कोई युक्तियुक्त खण्डन नहीं हुआ है ।

11. घूपलाल मरकाम (अ०सा० 01) का कथन है कि उसने घटना की सूचना दिया, तब पुलिस वाले आये और देहाती नालसी प्रदर्श पी–01 लेखबद्ध किये ।

निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 03.04.2023 को ग्राम चमारी में मेहर सिंह मेरावी के घर ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त होने पर वह मेहर सिंह मेरावी के घर चमारी गया और घटनास्थल पर घूपलाल के बतये अनुसार हेमेन्द्र मेरावी की मृत्यु की सूचना लेखबद्ध कर देहाती नालसी मर्ग क्रमांक 0/2021 प्रदर्श पी–01 लेखबद्ध किया । मर्ग जांच के दौरान मृतक हेमेन्द्र सिंह मेरावी के शव का पंचनामा करने गवाहों को नोटिस प्रदर्श पी 04 दिया तथा शव का पंचनामा कर नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 05 तैयार किया । अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना देहाती मर्ग के आधार पर मर्ग क्रमांक 04/2023 प्रदर्श पी–52 लेखबद्ध कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 11/2023 अंतर्गत धारा 302, 307 भारतीय दण्ड संहिता तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–53 लेखबद्ध कर आहत शिव कुमार मेरावी, शेर सिंह, राजकुमार, सौरभ, दीपक धुर्वे, सूरज मेरावी का मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट देने बाबत आवेदन पत्र प्रदर्श पी 26 से प्रदर्श पी 31 शासकीय अस्पताल रेंगाखार प्रेषित किया ।

12. सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिंह (अ०सा० 30) का कथन है कि दिनांक 03.04.2023 को मृतक हेमेन्द्र मेरावी के शव का पोस्टमार्टम करने आवेदन पत्र प्रदर्श पी–40 जिला अस्पताल कवर्धा को दिया। उक्त कथन का समर्थन करते हुए

डॉ० सुशीला किण्डो, मेडिकल ऑफिसर (अ०सा० 27) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 04.04.2023 को मृतक हेमेन्द्र मेरावी के शव को आरक्षक क्रमांक 723 संजय धुर्वे ने पोस्टमार्टम के लिए लाया, मृतक हेमेन्द्र मेरावी का शव परीक्षण करने पर पाया कि मृतक का पूरा शरीर किसी विस्फोटक से जला हुआ, मृतक के दोनों कान से खून निकला हुआ था और शरीर काला पड़ गया था, आंखे बंद थी, मुंह बंद था, पूरे शरीर में एब्रेसन एवं कन्टूयजन उपस्थित था, बांये कान में लेसरेटेड वुण्ड था, बांये हाथ एवं भुजा पर लेसरेटेड वुण्ड था, बांये हाथ का मध्य उंगली एवं रिंग फिंगर कटा हुआ था, दाहिने हाथ में मल्टीपल बोन फ्रैक्चर था, दाहिने पैर में लेसरेटेड वुण्ड था, दाहिने पैर के एड़ी में लेसरेटेड वुण्ड था, बांये पैर का पंजा कटा हुआ था, मृतक के गले में एक लेसरेटेड वुण्ड था ।

13. डॉ० सुशीला किण्डो, मेडिकल ऑफिसर (अ०सा० 27) यह भी कथन है कि कपाल एवं मेरूदण्ड – खोपड़ी, कपाल और कशेरूका, सिल्ली, मस्तिष्क एवं मेरूरज्जु, परदा, पसली और कोमलस्व, फुफ्फस, कंठ एवं श्वास नली ट्रेकिया काला पड़ गया था, दाहिना फेफड़ा – रेप्चर था जिससे खून जम गया था और काला पड़ गया था , बांया फेफड़ा कटा हुआ था और हेमरेजिक कन्टूयजन था, हृदय में खून के थक्के जमे हुए थे और कन्टूयजन था, एक चैम्बर खाली था, आंतो की झिल्ली, मुंह, ग्रासनली तथा ग्रसनी, यकृत, गुर्दा, मूत्राशय सामान्य एवं प्लीहा कंजेस्टेड एवं पेट एवं

उसके भीतर की वस्तुऐं खाली एवं कंजेस्टेड था, छोटी आंत और उसके भीतर की वस्तुऐं खाली था । Right Humerus, Right Radius ulna, Right Carpals एवं Right metatarsals फ्रैक्चर एवं Left Lung Hemorrhagic Contusion Laceration Clotted Blood. था। साक्षी के मतानुसार मृतक के मृत्यु का कारण किसी विस्फोट के प्रभाव से फेफड़े में आयी चोट के कारण खून बहने एवं दम घुटने से श्वसा अवरोध के कारण हुई थी । मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी । इस साक्षी ने मृतक हेमेन्द्र मेरावी के शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–40 को प्रमाणित कर उसमें अपना एवं डॉक्टर सन्नी डेविड का हस्ताक्षर होना बताया है । पोस्टमार्टम के पश्चात उसने मृतक हेमेन्द्र मेरावी के शरीर से विसरा एकत्र कर रासायनिक परीक्षण हेतु सील बंद की थी ।

14. डॉ० के० आर० रात्रे (अ०सा० 24) का कथन है कि दिनांक 03.04.2023 को आहत राजकुमार को आरक्षक क्रमांक 426 द्वारा परीक्षण हेतु उसमे समक्ष लाया गया, आहत राजकुमार का परीक्षण करने पर पाया कि एक लेसरेटेड वुण्ड दाहिने भुजा पर जिसमें खून निकला था एवं दर्द था जिसका आकार 2X3 से०मी०, एक लेसरेटेड वुण्ड दाहिने पैर पर जिसमें खून निकला था और दर्द था जिसका आकार 1X3 से०मी०, एक लेसरेटेड वुण्ड ऑक्सीपीटल एरिया पर जिसमें खून निकला था तथा दर्द था जिसका आकार 3X2 से०मी० था । आहत के शरीर के पिछले हिस्से पर मल्टीपल पैचेस थे तथा सिर के नीचे गले के पिछले भाग पर बाल जलकर घुंघरालू हो

गये थे, मल्टीपल पैचेस बांये भुजा पर जिसमें खून निकला और उसमें व दाहिने भुजा पर दर्द था । आहत को ईलाज के लिए जिला अस्पताल रिफर किया गया । आहत को आयी चोटे विस्फोट के कारण आना प्रतीत हो रही थी , जो 02 से 08 घण्टा के भीतर की थी । प्रदर्श पी–28 को इस साक्षी ने उक्त संबंध में अपने द्वारा तैयार मुलाहिजा रिपोर्ट होना बताते हुए उसे प्रमाणित किया है ।

15. सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिंह (अ०सा० 30) का कथन है कि 03.04.2023 को जिला अस्पताल कवर्धा से आहत राजकुमार की ईलाज के दौरान मृत्यु होने की सूचना प्रदर्श पी 48 प्राप्त हुई, उक्त सूचना के आधार पर जिला अस्पताल कवर्धा पहुँचकर मृतक राजकुमार के शव का पंचनामा करने गवाहों को नोटिस प्रदर्श पी 49 प्रेषित किया तथा गवाहों के समक्ष मृतक राजकुमार मेरावी के शव का पंचनामा कर नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–50 तैयार किया और अस्पताल कवर्धा को मृतक राजकुमार मेरावी के शव का पोस्टमार्टम करने आवेदन पत्र प्रदर्श पी–51 प्रेषित किया ।

16. डॉ० दिनेश कुमार (अ०सा० 20) का कथन है कि दिनांक 03.04.2023 को आरक्षक क्रमांक 585 राधेश्याम नेताम द्वारा मृतक राजकुमार मेरावी पिता मेहर सिंह के शव को पोस्टमार्टम हेतु उसके समक्ष पेश किया, मृतक राजकुमार मेरावी का पोस्टमार्टम करने पर पाया कि मृतक का शरीर सामान्य कद

काठी का एक युवक का था, पी०एम० टेबल पर पेट के बल लेटाया गया था, शरीर में लाल एवं पीले रंग का कपड़ा पहना था, आंख बंद था, मुंह, नाक एवं कान से रक्त स्राव हुआ था, मृतक के शरीर में अकड़न आ गया था, शरीर में गोदना में HEMA क्षाती के दाहिने हिस्से में लिखा था, मृतक के शरीर के पिछले हिस्से में बहुत सारी चोंट के निशान खरोंच के साथ मौजूद था, जो किसी विस्फोट से आना प्रतीत हो रही थी, मृतक के अपर लिम्ब और लोवर लिम्ब में तथा पैर के पूरे हिस्से में बहुत सारे चोंट एवं खरोंच के निशान थे जो किसी विस्फोट से आना प्रतीत हो रही थी, उपरोक्त आयी चोंटो का आकार 0.5X0.5 से०मी० से 2X1 से०मी० तक के आकार का था। मल्टीपल लेसरेटड वुंड सिर के ऑक्सीपीटल रिजन में मौजूद था जिसका आकार 2.5X1X1 से०मी० था, पैर के पिछले हिस्से में मल्टीपल ब्लाष्ट इंजरी उपस्थित था, पर्दा, पसली, फुफुफ्स, कंठ और स्वास नली, पेरीऑन परकरसियम, यकृत, प्लीहा तथा गुर्दाकंजेस्टेड थे । दाहिने फेफड़ा एवं बांया फेफड़ा में खून जमा था तथा फेफड़ो में कंट्यूजन चोट था । हृदय के दोनो चैम्बर खाली था, दाहिने चैम्बर में खून के थक्के जमा था, वृहद वाहिका इंटेक्ट थे । पर्दा, आंतो की झिल्ली, मुंह तथा ग्रास नली तथा ग्रसनी में कोई असमान्य स्थिति नहीं थी, पेट एवं उसके भीतर की वस्तुएं – अधपचा खादय पदार्थ खून के साथ मौजूद थे, छोती आंत एवं बड़ी आंत तथा उसकी भीतर की

वस्तुएं में गैस तथा मल पदार्थ मौजूद थे, मूत्राशय खाली था तथा भीतरी जननेन्द्रीय तथा बाहरी जनेन्द्रीय सिमेन एवं स्टूल निकला हुआ था ।

17. इस साक्षी के मतानुसार मृतक का मृत्यु का कारण ASPHYXIA था जो TRAUMATIC BLAST INJURIES WITH CHEST TRAUMA जो मृत्यु पूर्व की थी। मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम करने के लगभग 06 से 12 घण्टे के भीतर की थी ।प्रदर्श पी–28 को इस साक्षी ने उक्त संबंध में अपने द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट होना बताते हुए उसे प्रमाणित किया है ।

18. डॉ० दिनेश कुमार (अ०सा० 20) का कथन है कि पोस्टमार्टम पश्चात मृतक राजकुमार मेरावी के शरीर से रासायनिक परीक्षण हेतु दोनो फेफड़ो के टूकड़े एवं हृदय के टूकड़े नमक के घोल के साथ, मृतक के शरीर के चोंटग्रस्त हिस्से से कॉटन से निकाले गये स्क्रेब स्वेब, मृतक के शरीर के Foreign Body & Splint, मृतक के ब्लड सैम्पल, RED BULB CONTAINER, मृतक के पहने कपड़े में जो खून के धब्बे थे उसके हिस्से तथा मृतक के पहने पेंट एवं शर्ट प्रिजर्व किये थे, उक्त सभी संपत्तियों को सीलबंद कर उसी आरक्षक को रासायनिक परीक्षण हेतु सौंप दिया था ।

19. डॉ० के० आर० रात्रे (अ०सा० 24) का कथन है कि दिनांक 03.04.2023 को आहतगण शिवकुमार, शेर सिंह, सौरभ, दीपक एवं सूरज मेरावी को

आरक्षक क्रमांक 426 उसके समक्ष परीक्षण के लिए लाया । इस साक्षी ने आहत शिवकुमार का परीक्षण करने पर पाया कि एक लेसरेटेड वुण्ड दाहिने पैर पर जिसमें खून निकला था तथा पैर में दर्द था, एक लेसरेटेड वुण्ड दाहिने एड़ी के जोड़ पर जिसमें खून निकला था और दर्द हो रहा था जिसका आकार 3X2 से०मी०, मल्टीपल चोट के धब्बे गले के सामने भाग और भुजा पर आया था । एक लेसरेटेड वुण्ड बांये पैर के अंगूठे पर जिसमें खून निकला था और दर्द हो रहा था, आहत के दाहिने पैर के घुटने के नीचे फ्रैक्चर था, आहत होशो–हवास में था, आहत को एक्सरे कराने की सलाह दिया था। आहत शेर सिंह का परीक्षण करने पर पाया कि आहत के दोनों कान में खून निकला था तथा उसे सुनने में तकलीफ हो रही थी, आहत अपने हाथ में दर्द होने की बात बता रहा था, सिर का एक्सरे कराने की सलाह दिया था । उसी दिनांक को आहत सौरभ का परीक्षण करने पर पाया कि आहत के दाहिने भुजा पर चोट के निशान थे जिसमें से कुछ–कुछ मात्रा में धब्बे दिखायी दे रहे थे, दाहिने कान पर एक लेसरेटेड वुण्ड था।

20. डॉ० के० आर० रात्रे (अ०सा० 24) का कथन है कि उसी दिनांक को आहत दीपक धुर्वे का परीक्षण करने पर पाया कि आहत के दाहिने जांघ पर मल्टीपल पैचियल ब्लीडिंग हुई थी जिसमें दर्द भी था, आहत के पैर के बाल जले हुए थे और आहत के अंडरवियर जले हुए थे, आहत के पैर में दर्द था, आहत को आयी

चोटे विस्फोट के कारण आना प्रतीत हो रही थी । आहत को आयी चोटे 02 से 08 घण्टे के भीतर की थी। उसी दिनांक को आहत सूरज मेरावी का परीक्षण करने पर पाया कि आहत के छाती के सामने भाग पर मल्टीपल पैचियल ब्लीडिंग था, आहत के गाल एवं माथे पर मल्टीपल पैचियल ब्लीडिंग आयी थी, आहत का आई ब्रो जला हुआ प्रतीत हो रहा था, आहत के माथे के ऊपर का बाल जलकर घुंघरालू हो गया था, दोनों आंख में जलन में थी तथा आहत का आंख लाल हो गया था, बांये कान पर खून निकला था और एक लेसरेटेड वुण्ड था, पैचियल ब्लीडिंग आहत के पैर के नीचे एवं जांघ पर था । आहत के सिर का एक्सरे कराने की सलाह दिया था ।

21. इस साक्षी का कहना है कि आहतगण को आयी चोंटे विस्फोट के कारण आना प्रतीत हो रही थी । आहतगण को ईलाज के जिला अस्पताल कवर्धा रिफर किया था । आहतगण को आयी चोट की अवधि 02 से 08 घण्टे के भीतर की थी । क्रमशः प्रदर्श पी–26, 27, 29, 30 एवं प्रदर्श पी–31 को इस साक्षी ने उक्त संबंध में अपने द्वारा तैयार मुलाहिजा रिपोर्ट होना बताते हुए उसे प्रमाणित किया है ।

22. निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि दिनांक 12.05.2023 को आहत शिव कुमार, सूरज, शेर सिंह, दीपक, सौरभ एवं दिनांक 08.06.2023 को आहत सूरज, दीपक, राजकुमार का बेडहेड टिकट प्रदान करने बाबत् ज्ञापन प्रदर्श पी–77 एवं प्रदर्श पी–78 तथा दिनांक 25.06.2023 को

संचालक बी०आर० अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल रायपुर को आहत सूरज का बेडहेट टिकट प्रदान करने बाबत ज्ञापन प्रदर्श पी 79 प्रेषित किया । जिला अस्पताल कवर्धा में प्रदर्श पी 80 छः पन्नो में प्रदान किये थे ।

23. डॉ० के० आर० रात्रे (अ०सा० 24) का कथन है कि थाना प्रभारी रेंगाखार ने आहतगण शिवकुमार, शेर सिंह, सौरभ, दीपक धुर्वे के चोट की प्रकृति जानने ज्ञापन क्रमशः प्रदर्श पी 32, प्रदर्श पी 33, प्रदर्श पी 34, प्रदर्श पी 35, प्रदर्श पी 36 दिया था और इस आशय का अभिमत चाहा था कि आहतगण को आयी चोट की प्रकृति क्या थी? उसने थाना प्रभारी को आहत शेर सिंह कुशरे प्रदर्श पी 33, राजकुमार प्रदर्श पी 34, सौरभ प्रदर्श पी 35 एवं दीपक धुर्वे प्रदर्श पी 36 के चोट की प्रकृति सामान्य होने का अभिमत दिया था तथा आहत शिव कुमार प्रदर्श पी 32 के चोट की प्रकृति गंभीर होने का अभिमत दिया था । प्रदर्श पी 32 से प्रदर्श पी 36 के अ से अ भाग पर पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है ।

24. इस तरह, उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त यह पाया जाता है कि घटना दिनांक को मृतक हेमेन्द्र एवं राजकुमार मेरावी की मृत्यु विस्फोट के प्रभाव से फेफड़े में आयी चोट के कारण खून बहने एवं दम घुटने से श्वास अवरोध से हुई थी, जो हत्यात्मक स्वरूप की थी अर्थात् मृतकगण की मृत्यु मानव वध (हत्या) के फलस्वरूप हुई है, जो कि मानव

वध की श्रेणी में आता है तथा आहतगण सौरभ, सूरज, दीपक को सामान्य उपहति एवं आहत शिवकुमार एवं शेरसिंह को गंभीर उपहति विस्फोट के कारण कारित हुई ।

25. अब यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त द्वारा हेमेन्द्र एवं राजकुमार की मृत्यु कारित करने के आशय से होमथियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर शादी में उपहार देकर ब्लास्ट कर हेमेन्द्र एवं राजकुमार की हत्या कर मृत्यु कारित किया एवं आहत सौरभ, सूरज, शिव, दीपक एवं शेरसिंह को उपहति साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थिति में कारित किया कि, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता तथा अभियुक्त द्वारा मेहर मरावी का घर नष्ट करने के आशय से हेमेन्द्र का कमरा व बगल कमरा का खपरैल, मलमा, दीवाल, कमरे में रखे टी०वी०, कूलर, आलमारी, पेटी, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, पलंग, गद्दा आदि उपहार सामग्री नष्ट कर रिष्टी कारित किया और विधि विरुद्धतः और विद्वेषित विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार विस्फोट कारित कर मानव जीवन और सम्पत्ति की गंभीर क्षति कारित किया तथा विस्फोट कारित करने हेतु विस्फोटक पदार्थ बारुद, अमोनियम नाईट्रेट एवं पेट्रोल मिलाकर अवैध रुप से विस्फोटक पदार्थ बनाया और जान–बूझकर विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिये अपने कब्जे में रखा ?

26. तत्संबंध में प्रार्थी घूपलाल मरकाम (अ०सा० 01) का कथन है कि मृतक हेमेन्द्र का विवाह रामनवमी के दिन ग्राम अंजना में हुई थी और उसके विवाह में

मिले सामान को घर लाकर आंगन में फैलाकर रखे थे । उन सामानों को कमरे में व्यवस्थित कर रहे थे और वहाँ पर राजेन्द्र, राजकुमार, सौरभ, सूरज सिंह, शेरसिंह, दीपक और बहुत सारे लोग उपस्थित थे । ग्राम अंजना से दहेज में आये होम थियेटर को चालू करने के लिये बिजली के स्विच में लगाये थे । मृतक हेमेन्द्र जैसे ही स्विच को चालू किया, तब जोरदार धमाका (विस्फोट) हुआ । वह घटना के समय बरामदे के कोने पर बैठा था और धमाके से वह जमीन पर गिर गया, होश आने पर उसने देखा कि हेमेन्द्र वहीं पर खत्म हो गया तथा राजेन्द्र, राजकुमार, सौरभ, सूरज सिंह, शेरसिंह, दीपक को चोंटे आयी थी, उन लोगों को कवर्धा अस्पताल लेकर आये थे । राजकुमार के शरीर पर बहुत से छेद हो गये थे और उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई । घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वाले मौके पर आये । प्रकरण के संबंधित देहाती नालसी प्रदर्श पी–01 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । पुलिस वाले घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–02 बनाये थे एवं पटवारी ने प्रदर्श पी–03 का घटनास्थल का नक्शा बनाया था ।

27. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवाह के दौरान किस व्यक्ति ने क्या उपहार दिया था, इसकी जानकारी उसे नहीं है और वह नहीं बता सकता । साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 07 में कथन किया है कि घटनास्थल में विस्फोट हुआ, जो होम थियेटर में रखा हुआ था । साक्षी ने अस्वीकार

किया है कि उसने पुलिस वालों को कोई सूचना नहीं दिया था । इस साक्षी के बयान से प्रदर्श पी–01 देहाती नालसी एवं घटनास्थल के नजरी नक्शा एवं मौका नक्शा की कार्यवाही का खण्डन नहीं हुआ है ।

28. ललिता धुर्वे (अ०सा० 03) के बयान से यह पाया जाता है कि उसे घटना के बारे में जानकारी घर वालों के द्वारा दिये जाने पर हुई कि, गैस फट जाने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई । पुलिस वाले छानबिन किये, तब उसे पता चला कि होम थियेटर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था । साक्षी ने अस्वीकार किया है कि उसे विवाह में होम थियेटर उपहार में नहीं दिये थे और और पुलिस वाले पूछताछ कर उसका बयान दर्ज नहीं किये हैं ।

29. आहत शिवकुमार (अ०सा० 16), शेरसिंह (अ०सा० 17), दीपक धुर्वे (अ०सा० 18), सूरज मेरावी (अ०सा० 19) ने प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना दिनांक 03.04.2023 को हेमेन्द्र की शादी से आये हुए सामान को हेमेन्द्र एवं राजकुमार के साथ मिलकर उसके घर में जमा रहे थे । इसी दौरान होम थियेटर को चालू करने पर उसमें विस्फोट हुआ और हेमेन्द्र की मौके पर मृत्यु हो गई । राजकुमार की मृत्यु ईलाज के दौरान हुई और उन लोगों को चोट कारित हुई। साक्षीगण का कथन है कि पुलिस वाले पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किये थे ।

साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि मृतकगण उनके रिश्तेदार होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध झूठा कथन किये हैं।

30. राजेन्द्र मेरावी (अ०सा० 10), खेलसिंह धुर्वे (अ०सा० 12), मेहर सिंह मेरावी (अ०सा० 13) एवं मैनकुंवर (अ०सा० 14) ने अभियोजन के कहानी का समर्थन किया है। साक्षीगण का कथन है कि घटना दिनांक को हेमेन्द्र के विवाह में आये सामान को जमाने के दौरान होम थियेटर को चालू करने पर धमाका हुआ। धमाके से हेमेन्द्र की मौके पर मृत्यु हो गई एवं राजकुमार और अन्य लोगों को उपहति कारित हुई। ईलाज के दौरान राजकुमार की भी मृत्यु हो गई। उक्त साक्षियों में से अभियोजन साक्षी मेहर सिंह मेरावी (अ०सा० 13) एवं मैनकुंवर (अ०सा० 14) मृतक हेमेन्द्र एवं राजकुमार के माता–पिता हैं और शेष साक्षीगण पड़ोसी व रिश्तेदार हैं। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य अखण्डित रहा है कि मृतकगण की मृत्यु होम थियेटर में ब्लास्ट होने के कारण नहीं हुई है।

31. नारायण मेरावी (अ०सा० 05) का कथन है कि उसे घटना की जानकारी दूसरे से प्राप्त हुई। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब हेमेन्द्र की मृत्यु हो गई थी और आहतगण को अस्पताल ले गये थे। मृतक राजकुमार की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बाद में उसे पता चला कि अभियुक्त होम थियेटर गिफ्ट में दिया था, जिसमें ब्लास्ट होने से मृतकगण की मृत्यु हुई। पुलिस वाले उसके समक्ष मृतक का

मोबाईल प्रदर्श पी–08 के अनुसार जप्त किये थे । बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में प्रश्न सुझाये जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया है कि शॉट–सर्किट होने से विस्फोट हुआ । यद्यपि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस वाले उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं किये थे । साक्षी ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–08 में स्वयं का हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और घटना की सूचना मिलने पर मौके पर घटना दिनांक को आना भी बताया है।

32. तोरण कुमार यादव, जेल प्रहरी (अ०सा० 11) का कथन है कि थाना रेंगाखार के अपराध क्रमांक 11/2023 के अभियुक्त की पहचान कार्यवाही हेतु दिनांक 24.05.2023 को उपेन्द्र किण्डो, कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा पहचान कार्यवाही हेतु जिला जेल उपस्थित होकर पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी–14 तैयार किया गया, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह पाया जाता है कि पहचान कार्यवाही के दौरान पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं थे और प्रदर्श पी–14 की पहचान कार्यवाही को पुलिस वाले द्वारा नहीं भरा गया था ।

33. तत्संबंध में उपेन्द्र किण्डो, कार्यपालिक दण्डाधिकारी (अ०सा० 22) ने प्रदर्श पी–14 की कार्यवाही का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 24.05.2023 को उसके द्वारा उपरोक्त थाना के अपराध क्रमांक में जिला जेल कवर्धा में प्रदर्श पी–14 की कार्यवाही गवाहों के समक्ष कर अभियुक्त सूरज उर्फ संजू के सिर

पर हाथ रखकर पहचान किया गया था, जिसके संबंध में शिनाख्तगी मेमो प्रदर्श पी–14 थाना प्रभारी को प्रेषित किया गया । इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त तथ्यों का खण्डन नहीं हुआ है । निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि दिनांक 24.05.2023 को कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कबीरधाम को अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम की शिनाख्तगी कार्यवाही किये जाने बाबत ज्ञापन प्रदर्श पी 20 प्रेषित किया। उसी दिनांक को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कवर्धा को अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम के पहचान की कार्यवाही जिला जेल में कराये जाने की अनुमति बाबत आवेदन पत्र प्रदर्श पी 87 प्रेषित किया । जिला जेल कवर्धा द्वारा शिनाख्तगी की कार्यवाही के पश्चात् प्रदर्श पी 14 का शिनाख्तगी मेमो कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने प्रदान किया ।

34. अभियोजन साक्षी अमरलाल राहंगडाले (अ०सा० 04) का कहना है कि वह पिछले 30 वर्ष से ग्राम–मंडई जिला–बालाघाट में अमर इलेक्ट्रानिक के नाम से दुकान का संचालन करता है, उक्त दुकान का वह मालिक है। घटना पिछले वर्ष अप्रैल माह की बात है रेंगाखार पुलिस वाले आये और उसे बुलाकर ले गये। वहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछे कि कोई होम थियेटर किसी को बेचे हो क्या ? तब वह अपने मोबाईल को चेक कर बताया कि उसने सरजू नाम के एक व्यक्ति को होम थियेटर बेंचा था और उसने फोन पे के माध्यम से राशि 1000/– उसे उसकी पत्नी पुष्पलता के

खाते में ऑनलाईन पेंमेंट किया था । उक्त होम थियेटर का बिल पुलिस वालों को उसने दिया या। साक्षी का कथन है कि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय उपस्थित अभियुक्त ही उक्त सरजू नामक व्यक्ति है, जिसे उसने होम थियेटर बेचा । उसके द्वारा दिया गया बिल प्रदर्श पी 06 है । पुलिस वाले उससे अमर इलेक्ट्रानिक्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं अभियुक्त द्वारा खरीदे गये सामान की रसीद, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 07 के अनुसार जप्त किये थे ।

35. निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि दिनांक 04.04.2023 को अमर लाल राहंगडाले पिता झाडुलाल राहंगडाले ग्राम हर्राभाठ (मड़ई) के दुकान अमर इलेक्ट्रानिक एवं फर्नीचर से घटना स्थल से प्राप्त कार्टून के पहचान के संबंध में गवाहों के समक्ष पहचान कराया और पंचनामा प्रदर्श पी 59 तैयार किया । अमर लाल राहंगडाले (अ०सा० 04) को उसके इलेक्ट्रानिक दुकान से घटना स्थल से प्राप्त कार्टून में लिखे सोनी कंपनी के होम थियेटर बेचने एवं भुगतान करने के संबंध में वैध कागजात पेश करने नोटिस प्रदर्श पी 60 प्रेषित किया, नोटिस प्राप्त करने पर अमर लाल ने अभियुक्त को सोनी कंपनी का होम थियेटर 4 + 1 बेचना बताया तथा अपनी पत्नी के नाम में ऑनलाईन पेमेंट प्राप्त करना बताया । दिनांक 05.04.2023 को अमर लाल राहंगडाले (अ०सा० 04) से सरजू मरकाम को बेचे गये होम थियेटर का रसीद प्रदर्श पी 06, अमर इलेक्ट्रानिक–इलेक्ट्रिक का

जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन का सत्यापित फोटोप्रति प्रदर्श पी 61, दिनांक 31.03.2023 को सरजू मरकाम द्वारा होम थियेटर की खरीदी की राशि को फोन–पे के माध्यम से पेमेंट करने का मिनी स्टेटमेंट जिसकी सत्यापित फोटोप्रति प्रदर्श पी 62 को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 07 के अनुसार जप्त किया। दिनांक 05.04.2023 को अमर रहंगडाले के पेश करने पर उसके दुकान का रसीद बुक प्रदर्श पी 76, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 07 के अनुसार जप्त किया, उक्त रसीद बुक के बिल क्रमांक 117 में सरजू मरकाम के द्वारा होम थियेटर खरीदे जाने की बिल की कार्बन प्रति है।

36. साक्षी सुरेश कुमार चक्रवर्ती (अ०सा० 08) का कहना है कि गांव में उसका जनरल स्टोर की दुकान है। दिनांक 01.04.2023 को अभियुक्त उसके दुकान में होम थियेटर को पैक कराने आया था, उक्त होम थियेटर को वह गिफ्ट पैक बनाया। बाद में उसे पता चला कि रेंगाखार के पास ब्लास्ट हुआ है। उक्त अभियुक्त का उसके दुकान में होम थियेटर पैक करवाने का सी०सी०टी०वी० फुटेज सी०डी० बनाकर पुलिस वाले को दिया था, जिसे जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–12 के अनुसार जप्त किया गया।

37. बलराम मरकाम (अ०सा० 15) का कथन है कि वह सुरेश चक्रवर्ती को पहचानता है, जिसका ग्राम मड़ई, जिला–बालाघाट (म०प्र०) में दुकान है। अभियुक्त सुरेश चक्रवर्ती के दुकान से होम थियेटर क्रय किया, जिसका विडियो सी०सी०टी०वी० के माध्यम से मोबाईल में रिकार्ड था। जिसके संबंध में सी०डी०

तैयार कर उसे दिया। उक्त सी०डी० के संबंध में उसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–15 दिया, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । साक्षी ने अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर केवल प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर किया था । साक्षी के साक्ष्य से प्रदर्श पी–15 की कायर्वाही प्रमाणित पाया जाता है ।

38. विवेचक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि दिनांक 29.06.2023 को सुरेश चक्रवर्ती के पेश करने पर एक सी०डी० आर्टिकल ए 01 को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 12 के अनुसार जप्त किया । उक्त सी०डी० में दिनांक 01.04.2023 को अभियुक्त सरजू मरकाम द्वारा गिफ्ट पेपर खरीदकर होम थियेटर को गिफ्ट पैक कराने का विडियो एवं फोटोग्राफ है । उक्त सील बंद सी०डी० को खोलकर व चलाकर उसके विडियो को देखा गया, जिसमें अभियुक्त के द्वारा सोनी कंपनी के होम थियेटर को गिफ्ट पैक कराते देखा गया है तथा एक फोटोग्राफ जिसमें अभियुक्त का फोटो है । इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त सरजू उर्फ संजू द्वारा अमर लाल राहंगडाले के इलेक्ट्रानिक दुकान से घटना स्थल से प्राप्त कार्टून में लिखे सोनी कंपनी के होम थियेटर को खरीदा तथा उक्त होमथियेटर को सुरेश कुमार चक्रवर्ती (अ०सा० 08) के दुकान में गिफ्ट पैक कराया गया ।

39. साक्षी यशवंत धुर्वे (अ०सा० 21) का कथन है कि वह अभियुक्त सरजू उर्फ संजू को पहचानता है । सरजू उर्फ संजू उनके गांव का रहने वाला है, उसे बचपन से जानता है। साक्षी का घर सरजू मरकाम के घर के आस–पास है । सरजू उर्फ संजू मरकाम अक्सर बाहर कमाने–खाने जाता था । साक्षी का कथन है कि घटना करीब 02 साल पहले (बयान दिनांक 17.04.2025 से) की है । विस्फोट की घटना ग्राम चमारी में हुई । घटना के एक या दो दिन पहले सरजू उर्फ संजू उसे मोबाईल से फोन कर कहा कि ग्राम अक्कलपुर शादी में जायेंगे । उसके बाद सरजू उर्फ संजू उसके घर में मोटर सायकल से उसके साथ गया। सरजू उर्फ संजू मोटर सायकल में सामने टंकी और हैण्डल पर एक कार्टून रखा, जिसमें होम थियेटर था जो कार्टून में दिख रहा था। वह और सरजू उसकी मोटर सायकल से ग्राम मण्डई गये, जहां सुरेश चक्रवर्ती के दुकान से होम थियेटर को पैक कराया । उसके बाद सरजू उसे अपने मोटर सायकल से गिफ्ट सामान सहित बस स्टैण्ड मण्डई लेकर गया। बस स्टैण्ड पहुँचने पर सरजू उर्फ संजू उसे बोला कि अक्कलपुर नहीं जायेंगे, ग्राम चमारी उसके दोस्त की शादी में जाना है । उसके बाद सरजू उर्फ संजू उसे ग्राम चमारी लेकर गया ।

40. साक्षी यशवंत धुर्वे (अ०सा० 21) का यह भी कथन है कि चमारी पहुंचने के बाद शादी वाले घर के कुछ पहले सरजू उर्फ संजू मोटर सायकल रोक कर उसे उतार दिया और खुद भी उतर गया । सरजू उसे कहा कि तुम यहीं रूको, वह

शादी घर से देखकर आ रहा है। सरजू पहले शादी घर देखने गया, उस समय कुछ नहीं ले गया। शादी घर से 04–05 मिनट बाद वापस पुनः मोटर सायकल के पास आया और कहा कि रिवाज के अनुसार पैर धोने का कार्यक्रम चल रहा है । उसके बाद सरजू गिफ्ट पैकेट को लेकर शादी वाले घर तरफ गया, उसके पीछे–पीछे वह भी गया। शादी वाले घर में सरजू गिफ्ट में रखे होम थियेटर को शादी वाले घर में आंगन में रखे बर्तनों के पास ही होम थियेटर को रख दिया, थोड़ी देर शादी वाले घर के आंगन में दोनों खड़े थे । उसके बाद शादी घर से वे दोनों वापस मोटर सायकल के पास आये और मोटर सायकल से वे लोग अक्कलपुर चले गये । उसके कुछ दिन के बाद यू–ट्यूब के माध्यम से पता चला कि ग्राम चमारी में जिस घर में वह सरजू उर्फ संजू के साथ गया और जहां सरजू उर्फ संजू होम थियेटर छोड़ा था, उसी घर में ब्लाष्ट हुआ था । पुलिस वाले उसे नोटिस प्रदर्श पी 19 दिये थे और पूछताछ कर उसका बयान लिये थे।

41. साक्षी यशवंत धुर्वे (अ०सा० 21) ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस वालों को घटना के संबंध में कोई बयान नहीं दिया था और पुलिस वाले उसे डरा–धमका कर एवं सिखाकर बयान देने के लिये भेजे हैं । साक्षी ने स्पष्ट रुप से अस्वीकार किया है कि वह पुलिस वाले के सिखाये अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध बयान दिया है । इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य यह पाया जाता है कि वह अभियुक्त

के साथ होम थियेटर को शादी घर में देने के लिये ग्राम चमारी गया और उक्त होम थियेटर को अभियुक्त शादी घर के आंगन में रखा गया।

42. प्रवीण पटले (अ०सा० 09) का कथन है कि वह अभियुक्त को पहचानता है, अभियुक्त उसके दुकान में काम करता था । साक्षी का कथन है कि बैहर, जिला–बालाघाट में उसकी चार पहिया वाहनों का सर्विस सेंटर महेश मोटर्स के नाम से है । अभियुक्त उसके दुकान में कर्मचारी मैकेनिक के रुप में चारपहिया वाहनों के इंजन का काम करता था । दिनांक 28 मार्च 2023 को अभियुक्त दुकान से छुट्टी लेकर गया और बोला कि घर जा रहा है । इसके बाद अभियुक्त 04 अप्रेल 2023 को सुबह 10:00 बजे वापस आया । उसके बाद लगभग 1–2:00 बजे पुलिस वाले आये और अभियुक्त को पकड़कर ले गये, उसके बाद समाचार पत्र से उसे घटना के बारे में जानकारी हुई । पुलिस वाले उसके दुकान से अभियुक्त की मोटर सायकल भी लेकर गये और उसके दुकान की हाजिरी रजिस्टर उससे जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–13 के अनुसार जप्त किये थे ।

43. विवेचक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि दिनांक 12.04.2023 को प्रवीण कुमार के पेश करने पर उसके दुकान का महावारी रजिस्टर प्रदर्श पी 73 जिसमें कार्य करने वालो की उपस्थिति दर्ज है, को पेश करने पर उसने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–13 के अनुसार जप्त किया । उक्त रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 04 एवं

05 में सरजू मरकाम के दिनांक 01, 02, 03 अप्रैल एवं 05, 06 अप्रैल को अनुपस्थित होने का इन्द्राज है, उक्त रजिस्टर के पेज क्रमांक 04 में मार्च 31 को सरजू मरकाम के अनुपस्थित होने का इन्द्राज है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त घटना दिनांक एवं उसके पूर्व अपने काम करने वाले सर्विस सेंटर दुकान में अनुपस्थित रहा।

44. सुमन कौशिक (अ०सा० 28) का कथन है कि वह अभियुक्त को पहचानता है। जिला धार सिघाना मध्यप्रदेश में उसका बालाजी इन्टरप्रायजेस नाम का फर्म है, जिसका वह संचालक है। वर्ष 2013 से वह बालाजी इन्टरप्रायजेश फर्म के नाम से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की ठेकेदारी का कार्य कर रहा है। उसके पास ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग का लायसेंस है। वर्ष 2016 में सरजू मरकाम गुरूमणी ड्रिलिंग कंपनी राजगढ़ जिला धार में काम करता था। वहीं पर ब्लास्टिंग का कार्य होता था, उसी से सरजू मरकाम से परिचय हुआ था। सरजू मरकाम वर्ष 2017 में उसके कंपनी में करीब 01 साल तक ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेटर का काम करता था। उसके यहां ब्लास्टिंग में नाइट्रेट मिक्चर (एक्सप्लोजिव) का उपयोग होता था। सरजू मरकाम के गांव के आसपास के लोग भी उनके यहां काम करते है। वे लोग उसे बताये थे कि सरजू मरकाम होम थियेटर में एक्सप्लोजिव लगाकर ब्लास्ट कर दिया। उसी घटना के संबंध में पुलिस वाले पूछताछ कर उसका बयान लिये थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण से

यह पाया जाता है कि ब्लास्टिक करने वाले के साथ जाने वाले हेल्पर या मजदूर को ब्लास्ट करना नहीं सिखाया जाता, किन्तु उनके साथ लगातार जाने से जाने वाला व्यक्ति भी ब्लास्ट करने का काम सिख जाता है । साक्षी ने अस्वीकार किया है कि अभियुक्त उसके कंपनी में काम नहीं किया है ।

45. जप्ती एवं मेमोरेण्डम के साक्षी देवेन्द्र कुमार (अ०सा० 06) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने पुलिस द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–09 एवं सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–10 की कार्यवाही उसके समक्ष करने के तथ्य को अस्वीकार किया है । यद्यपि साक्षी ने उपरोक्त दस्तावेज के अ से अ भाग पर स्वयं का हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा सुझाये गये प्रश्न को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आलमारी में शॉट–सर्किट होने से विस्फोट हुआ।

46. जप्ती एवं मेमोरेण्डम के अन्य साक्षी मेवालाल (अ०सा० 07) का कथन है कि घटना दिनांक 03.04.2023 को मृतक हेमेन्द्र के घर ब्लास्ट हुआ, तब वह मौके पर गया और देखा कि ब्लास्ट होने से मृतक का घर क्षतिग्रस्त हो गया था । दहेज में लाया सामान टूट–फूट गया था । मृतक एवं आहतगण को रेंगाखार अस्पताल एवं कवर्धा लेकर आये थे । पुलिस वाले उसके समक्ष नजरी नक्शा प्रदर्श पी–02 तैयार किये थे और शव पंचनामा की कार्यवाही प्रदर्श पी–05 में उपस्थित होने हेतु

उसे प्रदर्श पी–04 का नोटिस दिये थे और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–10 एवं प्रदर्श पी–11 के अनुसार सामान जप्त किये थे । अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्पष्ट रुप से स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को मृतक हेमेन्द्र को मिले दहेज के सामानों को राजकुमार, राजेन्द्र, सौरभ, शिव, शेरसिंह एवं दीपक घर में जमा रहे थे । होम थियेटर को चालू करने के लिये स्विच में लगाकर चालू किये तब वह ब्लास्ट हो गया । अभियुक्त ने उनके समक्ष बताया था कि बारुद, सुतली बम की रस्सी, होम थियेटर खरीदी रसीद एवं मोटर सायकल को घर में रखना बताया था । अभियुक्त द्वारा उक्त सामान को अपने घर से निकालकर देने पर पुलिस द्वारा सामानों को जप्त करने का कथन साक्षी द्वारा किया गया है । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि घटना स्थल पर विद्युत तार शॉट–सर्किट होने से आलमारी के अंदर रखे सामान अचानक ब्लास्ट हो गया । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि उसके समक्ष पुलिस वाले पेचकस, बिल एवं मोटर सायकल अभियुक्त से जप्त नहीं किये थे। साक्षी द्वारा उक्त दस्तावेजों पर स्वंय का हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, उपरोक्त के आधार पर यह पाया जाता है कि, उक्त कार्यवाही के दौरान साक्षी मौके पर उपस्थिति था ।

47. निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि अभियुक्त सरजू मरकाम को अभिरक्षा में लेकर गवाह देवेन्द्र एवं मेवालाल के समक्ष पूछताछ कर

उसका मेमोरेण्डम बयान प्रदर्श पी 09 तैयार किया तथा मेमोरेण्डम बयान के आधार पर उसके पेश करने पर एक पीला लाल रंग का प्लास्टिक थैला जिसके अंदर पॉलिथिन से लिपटा 05–06 ग्राम बारूद जैसा पदार्थ, सुतली बम का जूट का रस्सी, एक लोहे का स्क्रू ड्राईवर, एक पीले रंग का होम थियेटर खरीदी का रसीद प्रदर्श पी 06 एवं एक मोटर सायकल क्रमांक एम०पी० 50, एम०एम० 9792 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 10 के अनुसार जप्त किया । दिनांक 05.04.2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार पत्रक प्रदर्श पी 68 के अनुसार गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना बलदेव मरकाम को दिया । गवाहों को नोटिस प्रदर्श पी 70 तथा गवाह यशवंत को नोटिस प्रदर्श पी 19 दिया । इस प्रकार यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त के मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त के निशानदेही पर उसके पेश करने पर बारुद जैसा पदार्थ, सुतली बम का जूट (रस्सी), एक लोहे का स्क्रू ड्रायवर, होमथियेटर खरीदने का रसीद एवं मोटर सायकल की जप्ती की गई ।

48. आरक्षक राधेश्याम नेताम (अ०सा० 25) एवं आरक्षक संजय धुर्वे (अ०सा० 06) का कहना है कि मृतक राजकुमार मेरावी एवं हेमेन्द्र मेरावी के शव का पोस्टमार्टम के पश्चात डॉक्टर के द्वारा मृतकगण के शव से एकत्र किये गये विसरा, नमक का घोल, मृतकगण के शरीर में चोट में से कॉटन से निकाले गये खून, मृतकगण के शरीर में घुसे प्लास्टिक के टूकड़े, मृतकगण का ब्लड नमूना, मृतक हेमेन्द्र के चोट

लगे स्थान की चमड़ी एवं मृतक राजकुमार का सफेद एवं काले रंग का खून लगा टी शर्ट, पैंट एवं मृतक हेमेन्द्र मेरावी का पैंट, अंडरवियर एवं रूमाल को सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिंह एवं थाना प्रभारी के समक्ष पेश किये, जिसे जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–38 एवं प्रदर्श पी–39 के अनुसार जप्त किये थे ।

49. निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन प्रदर्श पी–104 सहित रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा, जिसकी प्रदर्श प्राप्ती रसीद प्रदर्श पी 105 एवं परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 106ए तीन पन्नो में है तथा प्रदर्श पी 106बी दो पन्नो में है । दिनांक 27.06.2023 को मृतक राजकुमार मेरावी के लंग्स, हार्ट एवं हेमेन्द्र मेरावी के लंग्स एवं लिवर का रासायनिक परीक्षण कराने पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन क्रमशः प्रदर्श पी–107 एवं 110 सहित संचालक राज्य न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को प्रेषित किया, जिनकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 108 एवं प्रदर्श पी–11 एवं परीक्षण रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी–109 एवं प्रदर्श पी–12 है ।

50. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर (छ०ग०) द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 106ए अनुसार प्रदर्श C पराली एवं खपरे युक्त मिट्टी, प्रदर्श C_1 से C_5 प्लास्टिक टुकड़े, प्रदर्श C_6 के ड्रेस स्टोन, प्रदर्श C_7 कांच के टुकड़े, प्रदर्श E_1

स्क्रू/नट, प्रदर्श E_2 जींस के बटन, E_3 एवं E_4 चुंबक के टुकड़े, प्रदर्श F टीने सदृश्य शीट, प्रदर्श J जूट की रस्सी, प्रदर्श L_1 से L_3 प्लास्टिक के टुकड़े एवं प्रदर्श R_1 से R_6 प्लास्टिक टुकड़ों में विस्फोटक पदार्थ के अंश विद्यमान है । प्रदर्श D तार युग्म में विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहिता होती है, इसका प्रयोग विस्फोटक के ट्रिगरिंग डिवाईस में किया जा सकता है । प्रदर्श G शर्ट, प्रदर्श N मृतक राजकुमार के टी–शर्ट, प्रदर्श O मृतक राजकुमार के जींस पैंट, प्रदर्श T मृतक हेमेन्द्र के पेंट, प्रदर्श U अंडरवियर, प्रदर्श V रुमाल में विस्फोट पदार्थ के अंश विद्यमान है। प्रदर्श I पटाखे जैसी गंधयुक्त स्लेटी रंग के पावडर में विस्फोटक पदार्थ ब्लैक गन पावडर है । प्रदर्श H एवं P कॉटन स्वैब एवं प्रदर्श K खून आलूदा कॉटन स्वैब में विस्फोटक पदार्थ के अंश विद्यमान है ।

51. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर (छ०ग०) द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 106 बी अनुसार प्रदर्श A मिट्टी, प्रदर्श M एवं प्रदर्श S मृतक राजकुमार एवं हेमेन्द्र का लिक्विड ब्लड नमूना, प्रदर्श N एवं प्रदर्श O क्रमशः राजकुमार का टी–शर्ट, पेंट, प्रदर्श T, U, V क्रमशः मृतक हेमेन्द्र का पेंट, अंडरवियर एवं रुमाल में मानव रक्त पाया गया है ।

52. प्रकरण में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर (छ०ग०) से मृतक राजकुमार मेरावी एवं हेमेन्द्र मेरावी के विसरा क्रमशः प्रदर्श पी–109 एवं

प्रदर्श पी–112 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि मृतकगण के विसरा एवं नमक के घोल में रासायनिक विष नहीं पाया गया है।

53. सहायक उपनिरीक्षक चंद्रकांत तिवारी (अ०सा० 29) का कथन है कि दिनांक 28.05.2023 को थाना प्रभारी रेंगाखार ने अपराध क्रमांक 11/2023 के मामले में कॉल डिटेल, सी० ए० एफ० का धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रदान करने बाबत आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजा गया था,, जिसकी पावती प्रदर्श पी 41 है। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर सायबर सेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय कवर्धा के सिस्टम से मोबाईल नम्बर 9630702680, 8959514919 एवं 7024750238 के सी०डी०आर० एवं सी०ए०एफ० की हॉर्ड कॉपी प्रदर्श पी 42 है जो सात पन्नो में है एवं प्रदर्श पी 23 छः पन्नो में है जिसके सी०ए०एफ० प्रदर्श पी 43, 44, 45 एवं प्रदर्श पी 46 है। उक्त दस्तावेज को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कम्प्यूटर सिस्टम से हॉर्ड कॉपी निकालकर धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम. का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 47 उसके द्वारा प्रेषित किया गया।

54. सुरेश धुर्वे, एस०डी०ओ० BSNL (अ०सा० 23) का कथन है कि दिनांक 09.06.2023 को पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम से मोबाईल नंबर 7647994069 की सी०ए०एफ० एवं सी०डी०आर० की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं 65 बी का प्रमाण–पत्र प्रदान करने बाबत् ज्ञापन क्रमशः प्रदर्श पी 21 एवं प्रदर्श पी 22

दिया गया, उक्त ज्ञापन के आधार पर मोबाईल नंबर 7647994069 का कॉल डिटेल पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को नोडल ऑफिसर के रूप में प्रदान किया गया। मोबाईल नंबर का कॉल डिटेल प्रदर्श पी 23 06 पन्नो में है, जिसके संबंध में 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–24 उसके द्वारा प्रदान किया गया। उसने पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को कॉल डिटेल एवं 65 बी का प्रमाण पत्र प्रतिवेदन प्रदर्श पी–25 सहित प्रेषित किया।इस साक्षी का यह भी कथन है कि मोबाईल नंबर 7647994069 से मोबाईल नंबर 7024750238, 702475023, 7587708382 पर विभिन्न अवसरों पर बात हुई थी, जिसके संबंध में कॉल डिटेल विवरण प्रस्तुत किया गया है।

55. निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि दिनांक 03.04.2023 को प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल नम्बर 8959514919, 7898152229, 7647994069, 7024750238 एवं 6264792157 का दिनांक 01.03.2023 से 06.04.2023 तक का कॉल रिकार्ड, सी०डी०आर० एवं एस०डी०आर० प्रदान करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को नोट शीट प्रदर्श पी 57 प्रेषित किया। उसी दिनांक को मोबाईल क्रमांक 7647994069 एवं 7024750238 का सी०डी०आर०/ एस०डी०आर०/कॉल डिटेल/ टार्वर डिटेल लोकेशन प्रदान करने बाबत नोट शीट प्रदर्श पी 58 पुलिस अधीक्षक कार्यालय कबीरधाम को प्रेषित किया। दिनांक 04.04.2023 को मोबाईल नम्बर 8959514919, 9630702680

एवं 6264792157 का सी.डी.आर., एस.डी.आर., कॉल डिटेल एवं टावर लोकेशन हेतु नोटशीट प्रदर्श पी 91 पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजा । दिनांक 26.06.2023 को मोबाईल नम्बर 8959514919, 9630702680 एवं 7024750238 की सी.डी.आर.,सी.ए.एफ., एवं धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भेजे जाने का प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रदर्श पी 92 प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के साथ प्रदर्श पी 47 का प्रमाण पत्र एवं प्रदर्श पी 42, 43, 44, 45 एवं प्रदर्श पी 46 के दस्तावेज प्राप्त हुए ।

56. इस साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 09.06.2023 को पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन सहित नोडल ऑफिसर रिलायंश जिओं रायपुर को मोबाईल नम्बर 9630702680, 8959514919 की सी.ए.एफ., सी.डी.आर. एवं धारा 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदान करने दिया था जो प्रदर्श पी 94 दो पन्नो में है । उसी दिनांक को मोबाईल नम्बर 7024750238 के सी.ए.एफ. एवं धारा 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदान करने पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन सहित आवेदन पत्र नोडल ऑफिसर भारतीय एयरटेल लिमिटेड को प्रदर्श पी 95 दो पन्नो में दिया ।

57. निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि उसने गवाहों के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 02 तैयार किया, दिनांक 03.04.2023 को घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, घटना स्थल की

मिट्टी जिसमें बारूद जैसी गंध आ रही थी, एक लाल पीला रंग का वायर, इलेक्ट्रानिक मेटल सामाग्री, अलमारी का टूकड़ा जिसमें बारूद जैसा गंध आ रहा था, एक होम थियेटर का कार्टून जिसमें नीला स्याही से अमर इलेक्ट्रिकल मंडई लिखा, एक नग वीवो कंपनी का मोबाईल, एक नीला लाल पट्टी वाला फूल शर्ट खून लगा, घटना स्थल कमरा के ऊपर लकड़ी के म्यार से लिया गया कॉटन स्वाब को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–प्रदर्श पी 08, प्रदर्श पी 11 के अनुसार जप्त किया । दिनांक 04.04.2023 को ललिता धुर्वे के पेश करने पर शादी के सामान उपहार स्वरूप प्राप्त संपत्तियों को लिखे गये रजिस्टर (जिसमें पेज क्रमांक 89 से 92 तक में उपहार में दिये गये सामानों एवं व्यक्तियों का विवरण लिखे है), एक हल्के पीले रंग के कागज में लाल रंग के स्याही में प्रिंट किया हुआ शादी का कार्ड प्रदर्श पी 54, एक सफेद रंग का लावा कंपनी का की–पैड मोबाईल जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 55 के अनुसार जप्त किया । दिनांक 03.04.2023 को घटना स्थल पर विस्फोट से हुए नुकसान का गवाहों के समक्ष निरीक्षण कर नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी 56 तैयार किया ।

58. इस साक्षी का कथन है कि दिनांक 04.04.2023 को ललिता धुर्वे ने एक रजिस्टर जिसमें शादी में लोगो द्वारा उपहार में दिये गये सामाग्री का लेख है उक्त रजिस्टर के पेज क्रमांक 89 से 91 तक में लोगो का नाम एवं सामाग्री/रकम उल्लेखित है । रजिस्टर का पेज क्रमांक 89 से 91 प्रदर्श पी 72 है ।दिनांक 13.04.2023 को

राजेन्द्र मेरावी के पेश करने पर एक रजिस्टर प्रदर्श पी 74 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–75 के अनुसार जप्त किया। उक्त रजिस्टर में दिनांक 01.04.2023 को शादी में टीकावन में मिले उपहार सामाग्री का उल्लेख है ।

59. प्रकरण में संलग्न सी०डी०आर० रिपोर्ट प्रदर्श 42 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम का मोबाईल नंबर 8959514919 से मृतक हेमेन्द्र का मोबाईल नंबर 7024750238 का दिनांक 31.03.2023 को 6:53:33 से 7:01:33 समय तक बातचीत हुई थी । प्रकरण में संलग्न शादी कार्ड प्रदर्श पी–54 से यह दर्शित है कि दिनांक 31.03.2023 को ललिता धुर्वे एवं हेमेन्द्र की शादी का बारात स्वागत एवं पाणिग्रहण लग्न का कार्यक्रम था और उसी दिनांक को अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम द्वारा मृतक हेमेन्द्र के मोबाईल पर कॉल कर बातचीत किया । प्रवीण कुमार के पेश करने पर उसके दुकान का महावारी रजिस्टर प्रदर्श पी 73 जिसमें कार्य करने वालो की उपस्थिति दर्ज है, उक्त रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 04 एवं 05 में सरजू मरकाम के दिनांक 01, 02, 03 अप्रैल एवं 05, 06 अप्रैल को अनुपस्थित होने का इन्द्राज है, उक्त रजिस्टर के पेज क्रमांक 04 में मार्च 31 को सरजू मरकाम के अनुपस्थित होने का इन्द्राज है ।

60. निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) विवेचना के दौरान दिनांक 04.04.2023 को कार्यालय एफ०एस०एल० सीन ऑफ क्राईम यूनिट से घटना स्थल

का निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान कराने बाबत ज्ञापन प्रदर्श पी–63 पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के माध्यम से प्रेषित किया, उक्त ज्ञापन के आधार पर कार्यालय एफ०एस०एल० सीन ऑफ क्राईम यूनिट दुर्ग द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 64 एवं प्रदर्श पी 65 फोटोग्राफ सहित 20 पन्नों सहित प्रदान किया । गवाह गोकुल, रूकम सिंह, देवेन्द्र एवं मेवालाल को नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी 66, प्रदर्श पी 67 प्रेषित किया ।

61. निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि दिनांक 08.04.2023 को तहसीलदार रेंगाखार को घटना स्थल का पटवारी से नक्शा तैयार करवाने बाबत तहरीर प्रदर्श पी 71 प्रेषित किया । पटवारी नूतन लाल धुर्वे (अ०सा० 02) का कथन है कि तहसीलदार रेंगाखार के आदेशानुसार दिनांक 16.06.2023 को घटनास्थल जाकर प्रार्थी के बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–03 तैयार किया ।

62. इस साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 29.05.2023 को अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम के खाता का लेन–देन का विवरण प्रदान करने बाबत ज्ञापन प्रदर्श पी 81 प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रेंगाखार को प्रेषित किया, जिसके आधार प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रेंगाखार ने सरजू मरकाम के खाता का विवरण प्रदर्श पी 82 दिया । दिनांक 08.06.2023 को प्रबंधक फिनो बैंक शाखा

बालाघाट को खाता क्रमांक 20003480121 के लेन–देन का विवरण प्रदान करने बाबत ज्ञापन प्रदर्श पी 83 दिया था, फिनो बैंक ने प्रदर्श पी 84 एवं प्रदर्श पी 85 दो पन्नो में विवरण प्रदान किये। दिनांक 29.06.2023 को सुरेश चक्रवर्ती से जप्तशुदा सी.डी. कैसेट को थाना के कम्प्यूटर में गवाहों के समक्ष चलाकर देखा गया तद्पश्चात सी.डी. कैसेट चलाने का पंचनामा प्रदर्श पी 86 गवाहों के समक्ष तैयार किया।

63. विवेचक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) का कथन है कि दिनांक 05.04.2023 को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सहायक पुलिस उपनिरीक्षक नवा रायपुर को घटना स्थल का निरीक्षण एवं घटना में प्रयुक्त विस्फोटक की जांच करने हेतु टीम नियुक्त करने बाबत ज्ञापन प्रदर्श पी 88 दिया । पुलिस मुख्यालय सिविल लाईन रायपुर से प्रदर्श पी 89 का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । उसी दिनांक को पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को विस्फोटक सामाग्री की जांच हेतु टीम नियुक्त करने के संबंध में उसने आवेदन पत्र प्रदर्श पी 90 प्रेषित किया । सुरेश चक्रवर्ती ने सी.सी. टी.वी. कैमरा के विडियो का सी.डी. तैयार कर प्रदान किया, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रदर्श पी 93 प्रदान किया ।

64. इस साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 28.05.2023 को पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को प्रदर्श पी 41 का आवेदन पत्र दिया था जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । विवेचना के दौरान दिनांक 22.06.2023 को सुमन कौशिक को

नोटिस प्रदर्श पी 96 कथन देने बाबत दिया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर सुमन कौशिक के हस्ताक्षर है । सुमन कौशिक ने विस्फोटक रखने का लायसेंश एवं शॉट फायरकर्ता प्रमाण पत्र, विस्फोटक परिवहन का लायसेंश एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति दिया, जो प्रकरण में संलग्न है ।

65. इस साक्षी का यह भी कथन है कि गवाह शिव कुमार, शेर सिंह, अजीत सिंह को दीपक, ज्ञान सिंह को सूरज, जयदेव, खेल सिंह, नैन सिंह, सुरेश एवं लक्ष्मीकांत का कथन लेखबद्ध करने हेतु नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी 16 एवं 17, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एवं प्रदर्श पी 103 प्रेषित किया । विवेचना के दौरान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गवाह धुपलाल, मेहर सिंह, श्रीमती मैनकुवंर , राजेन्द्र, सरिता बाई, हेमकुवंर, ललिता, रूकम सिंह, शिव कुमार, शेर सिंह, सूरज, दीपक कुमार, मेवा लाल, देवेन्द्र, नैन सिंह, खेल सिंह, देव कुमार, महेन्द्र नारायण, अमर लाल, प्रवीण कुमार, यशवंत, सुमन कौशिक, सुरेश एवं ताजी राम का बयान उनके बताये अनुसार तैयार किया।

66. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 निम्नानुसार है –

"307. जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर

देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है ।

....।"

67. स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 307 के प्रावधानानुसार यह धारा किसी व्यक्ति की हत्या करने के प्रयास करने को दण्डित करती है । इस धारा के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिये यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपना कार्य ऐसे सदोष आशय या ज्ञान के साथ एवं ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि कोई हस्तक्षेपी बात बीच में न आती तो घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में वह कार्य हत्या की कोटि में आ गया होता । अभियुक्त का आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए, जो हत्या का अपराध गठित करने के लिये आवश्यक है । इस तत्व को साबित किये बिना हत्या करने के प्रयत्न का अपराध प्रमाणित नहीं हो सकता । धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आशय अभियुक्त के आरोपित

कृत्य के पहले आता है, इसलिए आशय को सभी परिस्थितियों में एकत्रित किया जाना चाहिए, न कि मात्र परिणामों से, जो घटित होता है ।

68. घटना में प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, तरीका, जिससे वह प्रयोग किया गया हो, अपराध के लिये हेतुक, प्रहार की गंभीरता, शरीर का भाग जहां उपहति कारित की गई है, कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्हें आशय के अवधारण हेतु ध्यान में रखा जाता है । अभियुक्त की मनःस्थिति को आसपास की परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए और हेतु सुसंगत परिस्थिति होगी । जहां साक्ष्य निश्चित तौर पर साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त को उक्त अपेक्षित आशय या ज्ञान था, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

69. प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि घूपलाल मरकाम (अ.सा.–01) के द्वारा थाना रेंगाखार में देहाती नालसी प्रदर्श पी–01 दिनांक 03.04.2023 को दर्ज कराया गया । जिसके आधार पर प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी–53 अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज किया गया । इस घटना में दो व्यक्ति हेमेन्द्र एवं राजकुमार की विस्फोट होने से मृत्यु हुई जिनका पोस्टमार्टम कराया गया । हेमेन्द्र का पोस्टमार्टम प्रदर्श पी–40 एवं राजकुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 से पाया जाता है कि उनकी मृत्यु विस्फोट में आये गंभीर उपहति के परिणाम स्वरूप कारित हुई है । विवेचना के दौरान घटना स्थल से प्रदर्श पी–11 अनुसार मिट्टी, पीले

रंग का वायर, इलेक्ट्रानिक मेटल की सामाग्री, होम थियेटर का कार्टून बॉक्स लाल रंग का जिसमें सोनी 25000W PMPO 4 + 1 सोनी सिरिज एवं होम थियेटर का फोटो लगा फटे हॉलत में जिसके बीच में नीला स्याही से अमर इले मडई लिखा दिनांक 03.04.2023 को जप्त किया गया। प्रकरण में घटना स्थल से एवं मृतकगण के कपड़े और चोट लगे स्थान की चमड़ी को क्रमशः प्रदर्श पी 38 एवं प्रदर्श पी–39 के अनुसार जप्त किया गया है जिसका राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर (छ.ग.) द्वारा कपड़ों में मानव रक्त एवं गन पाउडर होने के संबंध में अभिमत प्रदान करने हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रेषित किया गया । जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य न्यायायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 27.07.2023 के परिक्षण प्रतिवेदन/अभिमत पत्र में प्रदर्श पी–106 A में विस्फोटक पदार्थ के अंश होना पाया गया है । इसी तरह मृतकगण के टी शर्ट और घटना स्थल के मिट्टी के संबंध में परीक्षण किये जाने पर प्रदर्श पी–106 B में मानव रक्त पाया गया है । मृतकगण के विसरा रिपोर्ट के प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी–109 एवं प्रदर्श पी–112 में रासायनिक विष नहीं पाया गया है ।

70. प्रकरण में विवेचना के दौरान मृतक हेमेन्द्र के टूटे हुए मोबाईल जिसमें सिम क्रमांक 7024750238 लगा हुआ को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–08 के अनुसार जप्त किया गया । जिसके कॉल डिटेल जो प्रदर्श पी–46 के साथ संलग्न है में दिनांक

31.03.2023 को मोबाईल क्रमांक 8959514919 से कॉल आना पाया गया, जिसके संबंध में उक्त फोन नम्बर की जांच करने पर प्रदर्श पी–43 अनुसार सरजू मरकाम पिता बलदेव मरकाम का होना पाया गया । जिसके संबंध में प्रदर्श पी–42 के अनुसार अभियुक्त सरजू मरकाम के मोबाईल नम्बर क्रमांक 8959514919 सी.डी.आर. रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को मोबाईल नम्बर 7024750238 कॉल किया गया था ।

71. अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–09 दिनांक 05.04.2023 को निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ.सा. 31) के द्वारा लिया गया है । जिसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि अभियुक्त ललिता धुर्वे से प्रेम करता था और उसके मना करने के पश्चात भी वह नहीं मानी । तब वह अपने मोबाईल नम्बर 8959514919 से दिनांक 31.03.2023 को मृतक हेमेन्द्र को फोन किया और अपने और ललिता धुर्वे के बारे में बताया तब हेमेन्द्र उसके साथ गाली–गलौज किया । उसी दिनांक को अभियुक्त के द्वारा हेमेन्द्र एवं उसके परिजनों की हत्या करने का षडयंत्र किया । उसके द्वारा अमर लाल रहंगडाले (अ. सा. 04) के इलेक्ट्रानिक दुकान से सोनी कंपनी का होमथियेटर क्रय किया गया जिसकी रसीद प्रदर्श पी–06 अभियुक्त से जप्त किया गया । अभियुक्त द्वारा होम थियेटर क्रय करने के पश्चात रूपये देने के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श पी–81 से प्रदर्श पी–85 है, जिसके संबंध में अमर लाल रहंगडाले (अ.सा.04) ने अपने

बयान में बताया है कि उसके द्वारा प्रदर्श पी–06 का बिल अभियुक्त को प्रदान किया। उपरोक्त के आधार पर यह पाया जाता है कि अभियुक्त ने अमर लाल रहंगडाले (अ.सा.04) के दुकान से सोनी कंपनी का होम थियेटर दिनांक 31.03.2023 को क्रय किया था। जिसके संबंध में इस साक्षी ने प्रदर्श पी–60 में उल्लेख किया है कि "मैं अमर इलेक्ट्रानिक दुकान का मालिक हूँ, दिनांक 31.03.2023 को सरजू मरकाम नाम का व्यक्ति मेरे दुकान से से सोनी सिरिज कंपनी का होम थियेटर 4+ 1 खरीदा था जिसको मेरे द्वारा बिक्री रसीद दिया हूँ बिक्री करने पर मुझे मेरे पत्नी के नाम पर ऑन लाईन पेमेंट प्राप्त किया जिसका दस्तावेज पेश करता हूँ" जिससे संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी–59 से प्रदर्श पी–62 है। विवेचना के दौरान अभियुक्त से प्रदर्श पी–10 के अनुसार संपत्ति जप्त किया गया। जिसमें 05–06 ग्राम बारूद जैसा पदार्थ जिसमें बारूद की गंध आ रही थी और स्क्रू ड्रायवर, 1000/– रूपये का रसीद, मोटर सायकल क्रमांक MP 50 MM 9752 जप्त किया गया।

72. सुरेश कुमार चक्रवर्ती (अ. सा. 08) का कथन है कि अभियुक्त उसके दुकान से दिनांक 01.04.2023 को होम थियेटर पैक कराया था। जिसका रिकार्ड सी.सी. टी.वी. में दर्ज हुआ और उसका फूटेज सी.डी. में बनाकर प्रदर्श पी–12 के अनुसार जप्त किये थे। सुरेश चक्रवर्ती ने सी.सी. टी.वी. कैमरा के विडियो का सी.डी. तैयार कर धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी 93 प्रदान

किया । जिसके संबंध में विवेचना अधिकारी दुर्गेश रावटे (अ. सा. 31) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 41 में कथन किया है । प्रकरण में जप्त सी.डी. को आर्टिकल–ए1 से चिन्हांकित किया गया है, जिसे खोलकर देखने पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अभियुक्त काले रंग की टोपी पहना हुआ है और ऊपर से सिर को हल्के पीले रंग के गमछे से बांधा हुआ है और गिफ्ट को बैगनी रंग के गिफ्ट पेपर से पैक करा रहा है, जिसके संबंध में गवाहों के समक्ष प्रदर्श पी–86 का पंचनामा दिनांक 29.06.2023 को गवाहों के समक्ष तैयार किया गया ।

73. यशवंत ध्रुव (अ.सा. 21) ने अभियोजन का पूरे मामले का समर्थन किया है और बताया है कि अभियुक्त द्वारा ही मृतक हेमेन्द्र के घर गिफ्ट पैकेट रखा था। इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त इस साक्षी के साथ मोटर सायकल से घटना स्थल पर गिफ्ट लेकर आया और उसे अन्य सामानों के साथ रख दिया । प्रवीण पटले (अ. सा. 09) के बयान से यह पाया जाता है कि अभियुक्त घटना दिनांक के पूर्व उसके वाहन सर्विस सेंटर महेश मोटर में काम करता था । वहां के हाजिरी रजिस्टर प्रदर्श पी–13 के अनुसार जप्त किया गया है । उक्त रजिस्टर प्रदर्श पी–73 है जिसके पेज नम्बर 04 में मार्च 2023 उल्लेखित है । जिसके अवलोकन से यह पाया जाता है कि सरजू मरकाम दिनांक 31.03.2023 से 03.04.2023 तक अनुपस्थित रहा । तद्पश्चात दिनांक 04.04.2023 को उपस्थित

हुआ और अभियुक्त की गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–68 अनुसार उसी दिनांक को उसे गिरफ्तार किया गया।

74. प्रकरण में मृतकगण की मृत्यु एवं आहतगण को आयी चोट होम थियेटर के विस्फोट कर किये जाने का कथन किया है । अभियुक्त का आशय ही हेमेन्द्र एवं उसके परिवार वालों का मृत्यु कारित करना था और उक्त आशय से ही उसने होम थियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर उसे ब्लास्ट किया ।

75. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त द्वारा होमथियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर शादी में उपहार देकर ब्लास्ट कर हेमेन्द्र एवं राजकुमार की हत्या कर मृत्यु कारित किया तथा उक्त ब्लास्ट से आहत सौरभ, सूरज, शिव, दीपक एवं शेरसिंह को प्राणघातक चोट साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थिति में कारित किया कि, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता तथा मेहर मरावी का घर नष्ट करने के आशय से हेमेन्द्र का कमरा व बगल कमरा का खपरैल, मलमा, दीवाल, कमरे में रखे टी०वी०, कूलर, आलमारी, पेटी, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, पलंग, गद्दा आदि उपहार सामग्री नष्ट कर रिष्टी कारित किया और विधि विरुद्धतः और विद्वेषित विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार विस्फोट कारित कर मानव जीवन और सम्पत्ति की गंभीर क्षति कारित किया तथा विस्फोट कारित करने हेतु विस्फोटक पदार्थ बारुद, अमोनियम नाईट्रेट एवं पेट्रोल

मिलाकर अवैध रुप से विस्फोटक पदार्थ बनाया और जान–बूझकर विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिये अपने कब्जे में रखा ।

76. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से मेमोरेण्डम के आधार पर की गई जप्ती के तथ्य प्रमाणित होना पाया जाता है । इसके अलावा अभियुक्त की ओर से इस मामले में अन्य ऐसा कोई तथ्य भी नहीं लाया गया है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि निरीक्षक दुर्गेश रावटे (अ०सा० 31) एवं अन्य पुलिस अधिकारियों की अभियुक्त से कोई दुश्मनी रही है और उनके द्वारा अभियुक्त को रंजिशवश इस मामले में झूठा फंसाया गया है । अतः उसके कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है, तत्सम्बंध में न्याय दृष्टांत मनोज तिवारी बनाम शासन 2006 (1) सी०जी०एल०जे० 244 अवलोकनीय है।

77. यह अवश्य है कि धारा 25, 26 एवं 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में अपने मेमोरेण्डम कथन में की गई अपराध की संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, किन्तु धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के फलस्वरूप उसका

पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटी में आती हो या नहीं, जितनी एतद् द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। प्रश्नाधीन प्रकरण में अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन और उसकी संस्वीकृति के आधार पर घटना बारुद जैसा पदार्थ, सुतली बम का जूट (रस्सी), एक लोहे का स्क्रू ड्रायवर, होमथियेटर खरीदने का रसीद एवं मोटर सायकल जप्त होने के तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य है तथा उक्त सामग्री की जप्ती अभियुक्त के निशानदेही पर जप्त होना प्रमाणित होता है।

78. अभियोजन की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है अभियोजन साक्षियों के कथनों में लोप एवं अभिवृद्धियाँ है, अतः उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, इसलिए उनके साक्ष्य के आधार पर मामले को प्रमाणित मानकर अभियुक्तगण को दण्डित नहीं किया जा सकता । किन्तु, अभियुक्तगण की ओर से किया गया उक्तानुसार तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि साक्षियों के कथनों में आई लोप एवं अभिवृद्धियाँ इस प्रकृति की नहीं है कि मात्र उक्त आधार पर उनके सम्पूर्ण कथनों को त्यक्त कर दिया जाये । अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का उक्तानुसार तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। तत्सम्बंध में न्यायदृष्टांत खेदूराम वगैरह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2010 (3)

सी०जी०एल०जे० 244 एवं लक्ष्मण वगैरह बनाम महाराष्ट्र राज्य ए० आई० आर० 1974 सुप्रीम कोर्ट 308 अवलोकनीय है ।

79. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत गोवर्धन व एक अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य आई०एल०आर० 2025 छत्तीसगढ़ 1665 में अवधारित किया है कि "कानून सबूतों के टुकड़ों को एक–दूसरे से पूरी तरह जोड़ने पर विचार नहीं करता, क्योंकि, किसी आपराधिक मामले में सबूत का मानक सभी संदेहों से परे सबूत नहीं, बल्कि केवल उचित संदेह से परे सबूत होता है । दूसरे शब्दों में, यदि सभी सबूतों को एक साथ जोड़ने पर एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है जो अपराध को अंजाम देने में अभियुक्त की भूमिका के बारे में उचित संदेह से परे संकेत देती है, तो न्यायालय अभियुक्त को आपराधिक रुप से उत्तरदायी ठहराता है और उसे दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् दण्डित करता है, जो कि, दीवानी कार्यवाही के मामले में संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित सबूत की आवश्यकता के विपरीत है । उचित संदेह का अर्थ है कि, ऐसा संदेह काल्पनिक अटकलों से मुक्त होना चाहिए । यह सूक्ष्म भावनात्मक विवरण का परिणाम नहीं होना चाहिए, और संदेह वास्तविक और सारगर्भित होना चाहिए, न कि, केवल अस्पष्ट आशंका । आपराधिक मुकदमों में कानून की अपेक्षा मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने की नहीं, बल्कि उचित संदेह से परे साबित करने की है और

ऐसा संदेह काल्पनिक मनगढ़त, तुच्छ या महज एक संभावित संदेह नहीं हो सकता, बल्कि तर्क और सामान्य बुद्धि पर आधारित एक उचित संदेह हो सकता है।"

80. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम ने दिनांक 03.04.2023 को सुबह 9:00 बजे स्थान मेहर मरावी के घर ग्राम चमारी, थाना–रेंगाखार, जिला–कबीरधाम (छ०ग०) में हेमेन्द्र एवं राजकुमार की मृत्यु कारित करने के आशय से होमथियेटर में विस्फोटक पदार्थ प्लांट कर शादी में उपहार देकर ब्लास्ट कर हेमेन्द्र एवं राजकुमार की हत्या कर मृत्यु कारित किया एवं आहत सौरभ, सूरज, शिव, दीपक एवं शेरसिंह को प्राणघातक चोट साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थिति में कारित किया कि, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता तथा मेहर मरावी का घर नष्ट करने के आशय से हेमेन्द्र का कमरा व बगल कमरा का खपरैल, मलमा, दीवाल, कमरे में रखे टी०वी०, कूलर, आलमारी, पेटी, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, पलंग, गद्दा आदि उपहार सामग्री नष्ट कर रिष्टी कारित किया और विधि विरुद्धतः और विद्वेषित विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार विस्फोट कारित कर मानव जीवन और सम्पत्ति की गंभीर क्षति कारित किया तथा विस्फोट कारित करने हेतु विस्फोटक पदार्थ बारुद, अमोनियम नाईट्रेट एवं पेट्रोल

मिलाकर अवैध रुप से विस्फोटक पदार्थ बनाया और जान–बूझकर विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिये अपने कब्जे में रखा ।

81. प्रकरण में उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर यह पाया जाता है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता, की धारा–302 (दो बार), 307 (पांच बार), 436 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 03 एवं 05** का अपराध उनके संपूर्ण घटकों सहित संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, अतः **अभियुक्त सरजू उर्फ संजू मरकाम** को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 (दो बार), 307 (पांच बार), 436 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 03 एवं 05** के अपराध के लिये **दोषसिद्ध** ठहराया जाता है।

82. दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है ।

GITESH KUMAR KAUSHIK
Digitally signed by GITESH KUMAR KAUSHIK
Date: 2026.08.14 16:55:04 +0530

(गितेश कुमार कौशिक)
अपर सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम, (छ.ग.)

पश्चात्

83. उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त प्रथम अपराधी हैं, अतः उस पर सहानुभूति बरतते हुये केवल न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्त के कृत्य से 02 नवयुक्त की समय पूर्व मृत्यु कारित हुई है एवं अन्य 05 लोगों को उपहति कारित हुई है, अभियुक्त का आशय मृतक हेमेन्द्र के सम्पूर्ण परिवार वालों को मारने का रहा । अभियुक्त के कृत्य से समाज में द्वेष व्याप्त है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दण्डादिष्ट किया जावे ।

84. दण्ड का प्रश्न सदैव एक कठिन प्रश्न होता है, जो उसके उचित समायोजन और विभिन्न विचारणों के संतुलन की अपेक्षा करता है, जो दिए गए मामले में उसके समुचित मात्रा को अवधारित करने में न्यायिक मस्तिष्क का मूल्यांकन करता है। व्यापक रूप से अधिकथित दण्ड का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि अभियुक्त को यह अहसास कराना चाहिए कि उसने ऐसा कार्य किया है, जो न केवल समाज के प्रति, जिसका वह अभिन्न भाग गठित करता है, हानिकर है, बल्कि उसके स्वयं के भविष्य के लिए व्यक्ति और समाज के, दोनों के ही सदस्य के रूप में भी हानिकर है, दण्ड भावी अपराधियों को भयभीत करके और अपराध की पुनरावृत्ति होने पर दोषी पक्षकार को निवारित करके समाज की संरक्षा करने के लिए कल्पित है। दण्ड का

अनवरत् महत्वपूर्ण पहलू निवारक है और दण्ड का उद्देश्य न केवल वास्तविक अपराधी को अग्रिम अपराध से विरत् रखने, बल्कि भावी आपराधियों को भी विधिभंग करने से विरत् रखना है ।

85. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध दण्डादेश के संबंध में विचार किया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध एक अत्यंत गंभीर, क्रूर, बर्बर और समाज को झकझोर देने वाला अपराध है। अभियुक्त न्यूनतम दण्ड किये जाने पर इसका समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अभियुक्त जैसे मानसिकता के व्यक्तियों में कानून के प्रति भय कारित नहीं होगा । अभियुक्त के उक्त कृत्य से हेमेन्द्र एवं राजकुमार मेरावी की मृत्यु कारित हुई तथा आहत सौरभ, सूरज, शिव, दीपक एवं शेरसिंह को उपहति कारित हुई है । उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुये **अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता, की धारा–302 (दो बार), 307 (पांच बार), 436 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 03 एवं 05** के अपराध के लिए निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता है:–

क्र.	अभियुक्त का नाम	दोषसिद्ध अपराध	कारावास	अर्थदण्ड रूपये	व्यतिक्रम पर कारावास
01.	सरजू उर्फ संजू मरकाम	धारा 302 (दो बार) भा०द०सं०	आजीवन कारावास (प्रत्येक बार के लिये)	₹2000 (प्रत्येक बार के लिये)	दो माह (सश्रम) (प्रत्येक बार के लिये)

		धारा 307 (पांच बार) भा०द०सं०	आजीवन कारावास (प्रत्येक बार के लिये)	₹500 (प्रत्येक बार के लिये)	एक माह (सश्रम) (प्रत्येक बार के लिये)
		धारा 436 भा०द०सं०	10 वर्ष सश्रम	₹1000	एक माह (सश्रम)
		विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 03	10 वर्ष सश्रम	₹1000	एक माह (सश्रम)
		विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 05	05 वर्ष सश्रम	₹1000	एक माह (सश्रम)

86. अभियुक्त की आजीवन कारावास की अवधि उसके जैविक जीवन (Biological Life) के अंत तक रहेगी, जिसमें किसी भी प्रकार के दण्ड के लघुकरण या परिहार या अन्य किसी छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा । अभियुक्त को दी गई सभी गई उपरोक्त आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास की सजाएं साथ–साथ भुगतायी जाये । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि ₹9500 (नौ हजार पांच सौ रुपये) संदाय किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसे प्रत्येक धारा में कुल 12 माह का सश्रम कारावास मुख्य कारावास के पहले पृथक–पृथक एक के बाद एक भुगतायी जावे।

87. अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 05.04.2023 से आज दिनांक 14.08.2026 तक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं । अतः उक्त न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को अभियुक्त के उपरोक्तानुसार मूल कारावास की सजा में धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुजरा(समायोजित) किया जावे तथा तत्संबंध में धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर संलग्न किया जावे और सजा वारंट तैयार कर उक्तानुसार सजा भुगतायी जाने हेतु जेल दाखिल करायी जावे।

88. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मोटर सायकल क्रमांक MP 50/MM 9752 को अपील अवधि पश्चात् शासन के पक्ष में राजसात किया जावे । प्रकरण में जप्तशुदा विसरा, खून आलूदा एवं सादी मिट्टी, बारुद युक्त मिट्टी, वायर, मेटल सामग्री, आलमारी का टुकड़ा, होम थियेटर का कार्टून बॉक्स, शर्ट, स्वॉब, रुई, टी–शर्ट, पेंट, नमूना घोल, बारुद जैसा पदार्थ, सुतली बाई का रस्सी, स्कू ड्राईवर, प्लास्टिक का टुकड़ा, अंडरवियर, रुमाल मूल्यहीन होने से अपील न होने पर अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। शेष अभिलेख में संलग्न जप्तशुदा सम्पत्ति को अभिलेख का भाग माना जावें। अपील होने की दशा में उक्त सभी जप्तशुदा संपत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

89. प्रकरण में हेमेन्द्र एवं राजकुमार की हत्या हुई है । मृतकगण के हित प्रतिनिधि को शासन द्वारा प्रतिकर प्रदान किये जाने के संबंध में समुचित जांच उपरांत यदि यह पाया जाता है कि उन्हें प्रतिकर राशि प्रदान नहीं की गई है । तब कि स्थिति में पी़डित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत मृतकगण के आश्रित/हित प्रतिनिधि/निकट व्यक्ति में से उपयुक्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जाए । निर्णय की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को प्रेषित किया जाए।

90. निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान किया जाये एवं निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम को प्रेषित किए जाने हेतु लोक अभियोजक, कबीरधाम को प्रदान किया जाये ।

91. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शंकर महतो विरुद्ध बिहार राज्य में पारित आदेश दिनांक 16.04.2026 में दिये गये निर्देशानुसार निर्णय की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकारी कबीरधाम कवर्धा (छ०ग०) को प्रेषित किया जाये ।

92. अभियुक्त को उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने के अधिकार के बारे में बताया गया तथा निर्णय की निःशुल्क प्रति जेल अधीक्षक कबीरधाम (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वह अभियुक्त को उनके अपील के अधिकार के बारे में 07 दिवस के अंदर सूचित करे और यदि

अभियुक्त अपील करना चाहता है, तो जेल अधीक्षक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को सूचना प्रेषित करे।

दिनांक –14.08.2026 **मेरे निर्देशन पर टंकित ।**

स्थान–कबीरधाम (छ०ग०)

GITESH KUMAR KAUSHIK Digitally signed by GITESH KUMAR KAUSHIK Date: 2026.08.14 16:55:16 +0530

(गितेश कुमार कौशिक)
अपर सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम, (छ०ग०)

//प्रमाण पत्र//

(अंतर्गत धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

01. अभियुक्त का नाम –सरजू उर्फ संजू मरकाम पिता बलदेव मरकाम, उम्र–33 वर्ष,
02. गिरफ्तारी दिनांक –05.04.2023
03. न्यायिक अभिरक्षा की अवधि–05.04.2023 से 14.08.2026 तक
04. अभिरक्षा की अवधि जिसे कारावास के दण्ड से मुजरा किया जाना है –05.04.2023 से 14.08.2026 तक

GITESH KUMAR KAUSHIK
Digitally signed by GITESH KUMAR KAUSHIK
Date: 2026.08.14 16:55:27 +0530

(गितेश कुमार कौशिक)
अपर सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम, (छ०ग०)

The date when the judgment is reserved	The date when the judgment is pronounced	The date when the judgment is uploaded on the website	
		operative	Full
12.08.2026	14.08.2026	–	14.08.2026

GITESH KUMAR KAUSHIK
Digitally signed by GITESH KUMAR KAUSHIK
Date: 2026.08.14 16:55:35 +0530

(गितेश कुमार कौशिक)
अपर सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम (छ.ग.)